1

कृषि संबंधी स्थायी समिति
(2019–20)

(सत्रहवीं लोक सभा)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

पहला प्रतिवेदन

''राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019''

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2019 / अग्रहायण, 1941 (शक)

पहला प्रतिवेदन

कृषि संबंधी स्थायी समिति
(2019–20)

(सत्रहवीं लोक सभा)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

''राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019''

03.12.2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

03.12.2019 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2019 / अग्रहायण, 1941 (शक)

सीओए संख्या .....

मूल्य : रुपये

2019 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रतिया तथा कार्य–संचालन नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडिया ऑफसैट प्रैस, ए–1 मायापुरी इंडस्टन्नियल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली–110 064 द्वारा मुद्रित।

< विषय–सूची>

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना (2018-19) ..... (iii)

समिति की संरचना (2019-20) ..... (iv)

परिचय ..... (vil)

प्रतिवेदन

भाग- I

अध्याय - I परिचय

क. निफ्टम विधेयक, 2019 की मुख्य विशेषताएं

ख. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) की स्थिति का औचित्य

ग. पेटेंट के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा भुगतान किए गए मशीनरी और रॉयल्टी का आयात

घ. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव शक्ति की आवश्यकता

ड़. निफ्टेम और आईआईएफपीटी में भर्ती

च. विदेशी सहयोग

छ. निफ्टेम में व्यवस्थापन प्रक्रिया

ज. निफ्टेम के लिए शुल्क संरचना

झ. तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए संविधियाँ

ण. शुल्क में रियायत

प. शिक्षण शुल्क माफी योजना

फ. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

म. निफ्टेम के केंद्र

अध्याय - I निफ्टम बिल का क्लॉज-वार विश्लेषण

क. शासक मंडल

ख. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

ग. परिषद

घ. प्रबंधकारिणी समिति

ड़. प्रत्यायोजित विधान का दायरा

च. पंचाट के न्यायाधिकरण

छ. वित्तीय ज्ञापन

ज. निफ्टेम की आत्मनिर्भरता और स्थिरता

भाग II

समिति की सिफारिशें और टिप्पणियाँ

परिशिष्ट

(i) कृषि संबंधी स्थायी समिति (2018-19) की 13.03.2019 को आयोजित 12वीं बैठक के कार्यविवरण

(ii) कृषि संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की 19.11.2019 को आयोजित 11वीं बैठक के कार्यविवरण

(iii) कृषि संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की 29.11.2019 को आयोजित 12वीं बैठक के कार्यविवरण का सारांश

समिति की संरचना (2018–19)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री बोधसिंह भगत
3. श्री संजय धौत्रे
4. प्रो. रविंद्र विश्वनाथ गायकवाड़
5. श्री सनगन्ना अमरप्पा करादी
6. श्री नलीन कुमार कटिल
7. श्रीमति रक्षा निखिल खड़से
8. मोहम्मद बदारूद्दोजा खान
9. श्री सी. महेन्द्रन
10. डॉ. तापस मंड़ल
11. श्री जर्नादन मिश्र
12. श्री प्रवीण कुमार निषाद्
13. श्री देवजी एम. पटेल
14. श्री मुकेश राजपूत
15. श्री कोनाकल्ला नारायण यादव
16. श्री सी. एल. रूआला
17. श्री अर्जुन चरण सेठी
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री धर्मेंद्र यादव
20. श्री जयप्रकाश नारायण यादव
21. रिक्त[#]

राज्य सभा

22. सरदार सुखदेव सिंह ढीढ़सा
23. श्री राजमणि पटेल
24. श्री नारायण राणे
25. श्री कैलाश सोनी
26. श्री मोहम्मद अली खान
27. श्री के. के. रागेश
28. श्री रामनाथ ठाकुर
29. श्री आर. वेद्यालिंगम
30. श्री हरनाथ सिंह यादव
31. डॉ. चन्द्रपाल सिंह यादव

कृषि संबंधी स्थायी समिति (2019–20) की संरचना

श्री पर्वतागौड़ा चंदनागौड़ा गद्दीगौड़र – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजल अंसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
5. श्री ए. गणेशमूर्ति
6. श्री कनकमल कटारा
7. श्री अबू ताहेर खान
8. श्री भगवंत खुबा
9. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
10. श्री मोहन मंडावी
11. श्री देवजी मनसिंगराम पटेल
12. श्रीमति शारदाबेन अनिलभाई पटेल
13. श्री भीमराव बसवंतराव पाटिल
14. श्रीमति नवनीत रवि राणा
15. श्री विनायक भाउराव राउत
16. श्री पौचा ब्रह्मानंदा रेड्डी
17. श्री मोहम्मद सादिक
18. श्री विरेन्द्र सिंह
19. श्री वी.के. श्रीकंदन
20. श्री मुलायम सिंह यादव
21 श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

22. श्री प्रताप सिंह बाजवा
23. सरदार सुखदेव सिंह ढ़िढसा
24. श्री नारायण राणे
25. श्री कैलाश सोनी
26. श्री राम नाथ ठाकुर
27. श्री वाइको
28. श्री आर. वैद्यलिंगम
29. श्रीमति छाया वर्मा
30. डॉ. चन्द्रपाल सिंह यादव
31. श्री हरनाथ सिंह यादव

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	–	संयुक्त सचिव
2.	श्री अरूण के. कौशिक	–	निदेशक
3.	श्री सुमेश कुमार	–	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, कृषि संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी और से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ''राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019'' यह प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ|

2. ''राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019'' **13 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और सभापति, राज्यसभा के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कृषि संबंधी स्थायी समिति** (2018-19) **को जाँच और रिपोर्ट के लिए 22 फरवरी, 2019 को संदर्भित किया गया । समिति ने 13 मार्च, 2019 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। हालांकि, आम चुनाव होने के कारण, समिति ने अध्यक्ष लोकसभा से विधेयक को नई समिति 17 लोकसभा को संदर्भित करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष, लोकसभा, ने सभापति, राज्यसभा के परामर्श से, 04 अक्टूबर, 2019 को कृषि संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के लिए विधेयक को फिर से संदर्भित किया। समिति ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य 19 नवंबर, 2019 की बैठक में लिया । 29 नवंबर, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में समिति द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया गया और उसे अपनाया गया।**

3. **संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की सिफारिशें /टिप्पणियां को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है**

4. **समिति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और विधेयक की जाँच के संबंध में वांछित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहती है।**

5. **समिति, उससे सम्बद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।**

नई दिल्ली;
दिसंबर, 2019
अग्रहायण, 1941 (**शक**)

पी.सी. गद्दीगौड़र
सभापति,
कृषि संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग एक

प्रस्तावना

1.1 निफ्टेम बिल, 2019 खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन के कतिपय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन के क्षेत्र में निर्देशन एवं अनुसंधान उपलब्ध कराने तथा कुछ शाखाओं में तथा उसे जुड़े हुए अथवा घटित मामलों में शिक्षण की प्रगति और ज्ञान के प्रचार-प्रसार का प्रस्ताव करता है । इस बिल का उद्देश्य कुंडली, हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) और तंजावूर, तमिलनाडु में स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा प्रदान करना है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दो संस्थानों अर्थात निफ्टेम और आईआईएफपीटी का प्रशासनिक नियंत्रण कर रहा है । निफ्टेम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत वर्तमान में डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय (डि-नोवो श्रेणी) है, जबकि आईआईएफपीटी तमिलनाडु सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम 27) के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी है ।

निफ्टेम विधेयक, 2019 की मुख्य विशेषताएं

1.2 मंत्रालय ने जब निफ्टम विधेयक, 2019 की मुख्य विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए कहा, तो मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

i) दो मौजूदा संस्थान (निफ्टेम और आईआईएफपीटी) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे । परिणामस्वरूप दोनों मौजूदा संस्थानों को अलग-अलग नाम से अर्थात राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) कहा जाएगा ।

ii) नए संस्थान लाभ के लिए नहीं विधिक सत्ता होंगे । उन्हें शक्तियां प्राप्त होंगी और मोटे तौर पर शैक्षणिक अध्यवसाय, अनुसंधान तथा प्रशासन संबंधी कार्य करेंगे ।

iii) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी), सीनेट और परिषद इन संस्थानों के प्राधिकृत निकाय होंगे ।

iv बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सामान्य अधीक्षण निदेश और संस्थान के नियंत्रण कार्यों के लिए जिम्मेदार मुख्य कार्यकारी निकाय है । इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष (खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का ख्याति प्राप्त व्यक्ति) और 15 सदस्य द्वारा किया जाता है ।

v सीनेट निर्देश शिक्षा और संस्थान में परीक्षा के अनुरक्षण मानकों के लिए जिम्मेदार प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा । इसका नेतृत्व निदेशक और सात सदस्यों द्वारा किया जाता है ।

vi परिषद सभी संस्थानों के कार्यकलापों का समन्वय करेगी और यह अनुभवों, विचारों तथा सरोकारों की भागीदारी को सुगम बनाएगी ताकि संस्थानों का कार्य-निष्पादन बढ़ाया जा सके । इसका नेतृत्व प्रभारी मंत्री - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और 12 सदस्यों द्वारा किया जाता है ।

vii संसद द्वारा किए गए समुचित विनियोजन के पश्चात केंद्र सरकार प्रत्येक वित्त वर्ष में संस्थानों को इस प्रकार की धन राशि का जो यह उचित समझे भुगतान करेगी ।

viii प्रत्येक संस्था के लेखों का भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखा परीक्षण किया जाएगा । लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित सीएजी द्वारा यथा प्रमाणित लेखा परीक्षित लेखे संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे ।

<u>राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) दर्जे का औचित्य</u>

1.3 जब राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईआईएन) की स्थिति के लिए औचित्य की पेशकश करने के लिए कहा गया, मंत्रालय ने समिति के समक्ष उनके कारणों को प्रस्तुत किया है:-

i. **निफ्टेम को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने से संस्थान एक प्रमुख दर्जा प्राप्त करेंगे और देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अत्यधिक कुशल कर्मियों को विकसित करने में उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।**

ii. **यह स्थिति इन संस्थानों के लिए एक ब्रांड का निर्माण करेगी और आईआईटी / आईआईएम जैसे सर्वश्रेष्ठ संकायों और छात्रों को आकर्षित करेगी और इस क्षेत्र में पाठ्यक्रम और अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में वैश्विक मानकों को भी अपनाएगी। संस्थानों की बढ़ी हुई प्रोफ़ाइल के साथ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकता है जो बदले में नवीन उत्पादों / प्रक्रियाओं आदि के साथ क्षेत्र के प्रसार को बढ़ावा देगा और रोजगार पैदा करेगा।**

iii. **यह शैक्षणिक और अनुसंधान के मोर्चे पर विदेशी सहयोग करने के लिए संस्थानों को लचीलापन प्रदान करेगा। यह स्थिति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) / राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी के समान, इन संस्थानों को समग्र कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करेगी।**

iv. **इन दोनों संस्थानों में पहले से ही शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास, क्षमता निर्माण और कौशल विकास के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं हैं और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की भूमिका को पूरा करने के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी ढाँचा है।**

v. **दो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (एनआईटी) घोषित करने के लिए नया कानून, प्रस्तावित निफ्टम विधेयक के माध्यम से आवश्यक है क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण शैक्षणिक संस्थान पर कोई विशिष्ट कानून उपलब्ध नहीं है। एक कार्यकारी आदेश जारी करना भी उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि मंत्रालय को मामले में कोई आदेश नहीं है। इसके अलावा, निफ्टेम कानूनी रूप से यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय (डी-नोवो श्रेणी) है और आईआईएफपीटी एक सोसायटी है जो तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 (1975 के तमिलनाडु अधिनियम 27) के तहत पंजीकृत है। इसलिए, एक सामान्य नामकरण (यानी निफ्टेम) वहन करने वाली आईएनआई स्थिति के साथ उन्हें आईआईटी, एनआईटी, जैसे एक छत्र के नीचे लाने के लिए एक नया कानून लाने की आवश्यकता है।**

1.4 किसी भी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को जानने के लिए समिति ने स्पष्ट रूप से वांछित किया, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया:

"संस्थान की घोषणा के संबंध में कोई विशेष दिशानिर्देश नहीं हैं। हालाँकि, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची -1 की प्रविष्टि 64 में भारत सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा वित्तपोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थानों की घोषणा की परिकल्पना है। आईएनआई के रूप में घोषित संस्थानों में से कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)"

1.5. मंत्रालय के अनुसार, किसी भी संस्थान को होने वाले लाभों के बारे में समिति के सवाल पर कि यह राष्ट्रीय महत्व की संस्था है:

आईएनआई के रूप में घोषित होने से संस्थानों को जो लाभ हो सकते हैं वे निम्नानुसार हैं:

क) कार्यात्मक स्वायत्तता दक्षता में सुधार, गुणवत्ता के संस्थानिकरण में सहायक होती है और ज्यादा जवाबदेह बनाती है ।

ख) अनुसंधान तथा शिक्षा गुणवत्ता के मानक में सुधार आता है ।

ग) क्षेत्र के लिए उच्च कौशल प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है ।

घ) जमीनी आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रमों में संशोधन करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में संस्थान को सक्षम बनाता है ।

ङ) अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करते हैं और छात्रों को अपनी स्वयं की डिग्रियां प्रदान करते हैं ।

च) इन संस्थानों को अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान आसानी से मिल पाता है जिससे वे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवोन्मेषी अनुसंधान कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं और इससे भविष्य में उन्हें स्व-संधारणीय बनने में सहायता मिलती है ।

छ) इन संस्थानों को उत्कृष्ट ब्रांड टैग प्राप्त होगा जो बेहतरीन संकाय एवं छात्रों को आकर्षित करने में सहायक होगा (जैसा कि आईआईटीज/आईआईएम्स के मामले में है) और कॉरपोरेट के साथ बेहतर तालमेल स्थापित होगा ।

ज) शैक्षणिक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विदेशी सहयोग करने में लचीलापन आएगा ।

1.6 देश में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की अवधारणा के बारे में समिति के सवाल पर, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया:-

किसी संस्थान को आईएनआई के रूप में घोषित करने के संबंध में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं ।तथापि, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-1 के इंट्री 64 में भारत सरकार द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वित्त-पोषित वैज्ञानिक अथवा तकनीकी शिक्षा के संस्थानों को संसद के कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने की परिकल्पना की गई है ।

आईएनआई के रूप में घोषित संस्थानों में से कुछ संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटीज), अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम्स), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीज) तथाभारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीज), हैं ।

1.7 जब देश में राष्ट्रीय महत्व के सभी संस्थानों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने प्रस्तुत किया:-

क्र.सं.	राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का नाम	स्थापना का वर्ष	आईएनआई का दर्जा दिए जाने का वर्ष
1.	**एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश**	2010	2012
2.	**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, ओडिशा**	2012	2012
3.	**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश**	2012	2012
4.	**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली**	1956	1956

5.	**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर, राजस्थान**	2012	2012
6.	**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार**	2012	2012
7.	**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़**	2012	2012
8.	**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश, उत्तराखंड**	2012	2012
9.	**अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश**	1997	2014
10.	**दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई तमिलनाडु**	1918	1964
11.	**डॉ बी आर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, पंजाब**	1987	2007
12.	**फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश**	1986	2017
13.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिबपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल**	1856	2014
14.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कुरनूल, आंध्र प्रदेश**	2015	2017
15.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना, हिमाचल प्रदेश**	2014	2017
16.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश**	1999	2014
17.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, तमिलनाडु**	2007	2014
18.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़, कर्नाटक**	2015	2017
19.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, असम**	2013	2017
20.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी, पश्चिम बंगाल**	2014	2017
21.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा, राजस्थान**	2013	2017
22.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम, केरल**	2015	2017
23.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश**	2015	2017
24.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर**	2015	2017
25.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र**	2016	2017
26.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र**	2016	2017
27.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची, झारखंड**	2016	2017
28.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत, हरियाणा**	2014	2017

29.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्री सिटी, आंध्र प्रदेश**	2013	2017
30.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु**	2013	2017
31.	**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा, गुजरात**	2013	2017
32.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, गुजरात**	1961	2017
33.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर, पंजाब**	2015	2017
34.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बैंगलोर कर्नाटक**	1973	2017
35.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया, बिहार**	2015	2017
36.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, पश्चिम बंगाल**	1961	2017
37.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, मध्य प्रदेश**	1996	2017
38.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, उत्तराखंड**	2011	2017
39.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, केरल**	1996	2017
40.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, उत्तर प्रदेश**	1984	2017
41.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर, महाराष्ट्र**	2015	2017
42.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, छत्तीसगढ़**	2010	2017
43.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, झारखंड**	2010	2017
44.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, हरियाणा**	2010	2017
45.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, मेघालय**	2007	2017
46.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु**	2011	2017
47.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, राजस्थान**	2011	2017
48.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश**	2015	2017
49.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जम्मू, जम्मू-कश्मीर**	2016	2017
50.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, संबलपुर, ओडिशा**	2015	2017
51.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश**	2015	2017
52.	**भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, आंध्र प्रदेश**	2016	2018
53.	**भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बरहमपुर, ओडिशा**	2016	2017
54.	**भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश**	2008	2012
55.	**भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल**	2006	2012
56.	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली, पंजाब**	2007	2012
57.	**भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र**	2006	2012

58.	**भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल**	2008	2012
59.	**भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति, आंध्र प्रदेश**	2015	NA
60.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) वाराणसी, उत्तर प्रदेश**	1919	1961
61.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, ओडिशा**	2008	2011
62.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, महाराष्ट्र**	1958	1961
63.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली**	1963	1963
64.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ कर्नाटक**	2016	2016
65.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गुजरात**	2008	2011
66.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा**	2016	2016
67.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, असम**	1994	1994
68.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, तेलंगाना**	2008	2012
69.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, मध्य प्रदेश**	2009	2011
70.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू-कश्मीर**	2016	2016
71.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, राजस्थान**	2008	2012
72.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश**	1959	1961
73.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, पश्चिम बंगाल**	1951	1961
74.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तमिलनाडु**	1959	1961
75.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश**	2009	2012
76.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पलक्कड़, केरल**	2015	2016
77.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, बिहार**	2008	2012
78.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की , उत्तराखंड**	1847	1961
79.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, पंजाब**	2008	2012
80.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, आंध्र प्रदेश**	2015	2016
81.	**भारतीय सांख्यिकी संस्थान, पश्चिम बंगाल**	1931	1959
82.	**जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी**	1823	2008
83.	**कलाक्षेत्र फाउंडेशन, तमिलनाडु**	1936	1994
84.	**मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर, राजस्थान**	1963	2009
85.	**मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मध्य प्रदेश**	1960	2007
86.	**मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश**	1961	2007

87.	**नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, गुजरात**	1960	2014
88.	**राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, कर्नाटक**	1925	2012
89.	**नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पंजाब**	1998	1998
90.	**राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात**	2007	2007
91.	**राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बिहार**	2007	2007
92.	**नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तेलंगाना**	2007	2007
93.	**राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल**	2007	2007
94.	**राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश**	2007	2007
95.	**नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, असम**	2007	2007
96.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, त्रिपुरा**	1965	2007
97.	**नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट केरल**	1961	2007
98.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली**	2010	2012
99.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा**	2010	2012
100.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम**	2010	2012
101.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड**	2010	2012
102.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम**	2010	2012
103.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड**	2010	2012
104.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश**	2015	NA
105.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश**	2010	2012
106.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल**	1960	2007
107.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश**	1986	2007
108.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, झारखंड**	1960	2007
109.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक**	1960	2007
110.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र, हरियाणा**	1963	2007
111.	**नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपुर**	2010	2012
112.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय**	2010	2012
113.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना बिहार**	1886	2007
114.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुडुचेरी**	2010	2012
115.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़**	1956	2007
116.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला ओडिशा**	1961	2007

117.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर असम**	1967	2007
118.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर जम्मू-कश्मीर**	1960	2007
119.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु**	1964	2007
120.	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल तेलंगाना**	1959	2007
121.	**पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं निर्माण संस्थान,जबलपुर**	2005	2014
122.	**स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़**	1962	1967
123.	**राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश**	2007	2007
124.	**राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान तमिलनाडु**	1993	2012
125.	**सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत गुजरात**	1961	2007
126.	**स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल मध्य प्रदेश**	2008	2014
127.	**स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली**	1941	2014
128.	**स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश**	2008	2014
129.	**श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी केरल**	1973	1980
130.	**विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान**	1960	2007

1.8 मंत्रालय ने अपने बैकग्राउंड नोट में कहा कि आईएनआई का इन संस्थानों के लिए एक ब्रांड का निर्माण करेगा और आईआईटी / आईआईएम जैसे सर्वश्रेष्ठ संकायों और छात्रों को आकर्षित करेगा और इस क्षेत्र में पाठ्यक्रम और अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में वैश्विक मानकों को भी अपनाएगा। पाठ्यक्रम और अनुसंधान गतिविधियों के लिए संस्थानों द्वारा अपनाई गई मौजूदा मानकों की गुणवत्ता के संबंध में समिति के सवाल पर, मंत्रालय ने कहा:-

संस्थानों द्वारा इस समय अपनाए गए मानक वैश्विक मानकों से नीचे हैं । संस्थानों के पास इस समय उपलब्ध सीमित कार्यात्मक एवं शैक्षणिक स्वायत्तता के कारण ऐसा है ।

1.9 इस संबंध में समिति याद करती है कि निफ्टम के विज़न डॉक्यूमेंट का उद्देश्य खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन के क्षेत्रों में एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान होना

है, निफ्टेम वैश्विक स्तर के पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करेगा, जिसमें खाद्य प्रौद्योगिकी, प्रबंधन उद्यमिता पर इनपुट का इष्टतम मिश्रण होगा। मंत्रालय ने अपने मिशन वक्तव्य का हिस्सा होने के बावजूद खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के क्षेत्रों में वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए निफ्टेम द्वारा सामना की जाने वाली बाधा के संबंध में समिति के सवाल पर बताया

विजन और मिशन विवरण प्रारंभ में निफ्टेम के विकास की भावी रूपरेखा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था । संस्थान 2011 में ही शुरू हुआ था और मिशन स्टेटमेंट के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर सतत कार्यरत है । आईएनआई दर्जा वैश्विक मानकों को प्राप्त करने में तेजी लाएगा ।

1.10 उपरोक्त मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय ने कहा

संस्थाओं के सामने आने वाली कुछ बाधाएं इस प्रकार हैं:

क) फैकल्टी की ईष्टतम संख्या का अभाव

ख) फैकल्टी और स्टाफ के अंतर्राष्ट्रीय उद्भासन की कमी

ग) नवोन्मेषी पाठ्यक्रम तैयार करने की स्वतंत्रता का अभाव

घ) सीमित जनशक्ति के कारण अनुसंधान हेतु समर्पित फैकल्टी का अभाव

ङ) निम्नलिखित में आने वाले प्रक्रियागत विलंब:-

i. अंतर्राष्ट्रीय मानकों और औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप नए अकादमिक कार्यक्रम का प्रस्ताव करना
ii. प्रवेश क्षमता बढ़ाना
iii. नए केंद्र खोलना

1.11 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजूदा मानकों और तकनीकी शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद (जो पाठ्यक्रम संरचना और डिग्री की मंजूरी देता है) की स्थिति के बारे में समिति की सवाल
पर, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया:-

यूजीसी और एआईसीटीई के मौजूदा विनियामक दिशानिर्देश तेजी से बदल रहे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा नहीं करते हैं । खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित अकादमिक कार्यक्रमों के लिए ,पठन कक्ष शिक्षण के अलावा सघन व्यावहारिक प्रशिक्षण और हैन्ड्स-ऑन अनुभव की आवश्यकता है । अनुसंधान पर अधिक फोकस होना चाहिए

1.12 खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षण और नवाचार में वैश्विक स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्न के रूप में प्रस्तुत किया:

अनुसंधान, शिक्षण एवं नव-प्रवर्तन में वैश्विक मानक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:-

क) पाठ्यक्रम डिजाइन करने में अकादमिक स्वायत्तता प्रदान करना

ख) फैकल्टी को वैश्विक रूप से हायर करने में लचीलापन

ग) भावी क्षेत्रों में संकेंद्रित अनुसंधान

घ) ख्याति प्राप्त संस्थानों के साथ द्वि-डिग्री और बहु- परिसर कार्यक्रम

ङ) उद्योग की तात्कालिक आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए संविदा अनुसंधान

मंत्रालय, निफ्टेम और आईआईएफपीटी इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार-विमर्श करते रहे हैं । विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके प्राप्त किए गए हैं । छात्रों और फैकल्टी को विदेशी एक्सपोजर दिया गया है ।

1.13 मंत्रालय द्वारा इन मानकों को प्राप्त करने हेतु उन तरीकों के संबंध में समिति के प्रश्न पर बताया:-

यदि आईएनआई का दर्जा दिया जाता है तो निफ्टेम निम्नलिखित द्वारा वैश्विक मानक प्राप्त करने के प्रयास करेगा:

क) शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करने के लिए कार्य स्वायत्तता

ख) अनुसंधान करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ छात्र और फैकल्टी आदान-प्रदान करने के लिए शैक्षणिक लचीलापन

ग) अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बराबर पाठ्यक्रम और विषय-वस्तु को समय से अपडेट करना

घ) उद्योगों के सामने आ रहीं वास्तविक समय चुनौतियों के संबंध में अनुसंधान करने के लिए छात्रों और फैकल्टी सदस्यों के उद्भासन के लिए उद्योग संस्थान अन्योन्य क्रिया

ङ) सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी को हायर करना

1.14 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा पेश की जा रही विभिन्न बाधाओं / चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर और प्रस्तावित निफ्टेम इन बाधाओं / चुनौतियों को उठाने और देश में स्थायी विकास और
उत्पादकता के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को चलाने में सक्षम होगा, मंत्रालय प्रस्तुत:

देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा जिन प्रमुख बाधाओं/चुनौतियों का सामना किया जा रहा है उन्हें नीचे सूची में दिया गया है:

क. गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्री और प्रसंस्करण योग्य किस्मों की पूरे वर्ष उपलब्धता
ख. सक्षम आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना की कमी
ग. नवोन्मेषी खाद्य उत्पादों की कमी
घ. मशीनीकरण का निम्न स्तर
ङ. दक्ष एवं लागत प्रभावी प्रंसस्करण प्रौद्योगिकियों की कमी
च. सीमित अनुप्रयुक्त अनुसंधान
छ. कुशल एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी

आईएनआई का दर्जा प्रदान करने से संस्थान, निम्न उपायों द्वारा इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते है:

क. उद्योग में उच्च कुशल तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की आपूर्ति में अभिवृद्धि
ख. अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के माध्यम से नवोन्मेषी उत्पादों एवं प्रक्रियाओं का इस क्षेत्र में फैलाव
ग. विदेशी सहयोगों के माध्यम से खाद्य क्षेत्र में वैश्विक/बेहतरीन पद्धतियों को अपनाने में लचीलापन

मशीन का आयात और पैटेंट के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अपनाई गई रणनीति

निफ्टेम बिल, 2019 खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन के कतिपय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन के क्षेत्र में निर्देशन एवं अनुसंधान उपलब्ध कराने तथा कुछ शाखाओं में तथा उसे जुड़े हुए अथवा घटित मामलों में शिक्षण की प्रगति और ज्ञान के प्रचार-प्रसार का प्रस्ताव करता है ।

अब मंत्रालय द्वारा **देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मशीनरी/प्रौद्योगिकियों की** उपलब्धता का मूल्यांकन **करने के लिए अध्ययन** के बारे में पूछा गया तब मंत्रालय ने निम्नवत् बताया :-

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा संचालित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) में वर्ष 2024-25 तक के खाद्य प्रसंस्करण उपकरण हेतु संभावित बाजार के आकार का आकलन किया गया है । यह विश्लेषण वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के आंकड़े पर आधारित है । यह अनुमान लगाया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वर्ष 2024-25 तक लगाए जाने वाले संयंत्र एवं मशीनरी का सकल मूल्य 3.6 लाख करोड़ रुपए होगा । बाजार के इस आकार में प्रमुख योगदान अनाज प्रसंस्करण, डेयरी प्रसंस्करण, तैयार भोजन तथा अन्य सभी खाद्य उत्पादों का है ।

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	सेक्टर	अचल पूंजी 2016-17	सयंत्र एवं मशीनरी का सकल मूल्य 2016-17	अचल पूंजी 2024-25	सयंत्र एवं मशीनरी का सकल मूल्य 2024-25
1.	डेयरी उत्पाद	25242	16471	68712	55657
2.	फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण तथा परिरक्षण	6622	5047	12418	8064
3.	अनाज प्रसंस्करणःअनाज मिल उत्पाद, स्टार्च तथा स्टार्च उत्पाद, बेकरी उत्पाद	41839	22771	116529	62930
4.	वनस्पति एवं पशु तेल तथा वसा का प्रसंस्करण	18970	18676	26243	22848
5.	मांस, मछली आदि का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	7588	4459	25004	15750
6.	मृदुपेय, मिनरल वाटर तथा अन्य बोतल बंद पानी	19831	15491	48321	37912
7.	तैयार आहार और अन्य खाद्य उत्पाद	26299	15729	90279	60487
8.	कोका, चॉकलेट तथा सुगर कंफेक्शनरी	9667	15491	49966	43036
9.	तैयार पशु आहार	11179	7126	79072	53249
	कुल	**167237**	**121261**	**516544**	**359933**

जब मशीनरी का आयात करने के लिये देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा उपयोग की गई विदेशी मुद्रा संबंधी जानकारी देने के लिये कहा गया तब मंत्रालय ने निम्नवत बताया।-

वर्ष 2014-15 से किए गए **आयात** का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्रसंस्करण मशीनरी का भारत में आयात	
	आयात का मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर
2014-15	998.14
2015-16	1059.43
2016-17	985.93
2017-18	1041.54
2018-19	1232.48
कुल	**5317.52**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकता, 2019

जब खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान उपयोग में लाई गई प्रौद्योगिकियों पर रॉयल्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि के संबंध में बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा है। यदि कोई तब मंत्रालय ने निम्नवत् बताया। –

इस प्रकार के भुगतान निजी कंपनियों द्वारा किए जाते हैं और उन्हें उनके वित्तीय विवरणों में दिखाया जाएगा । भारत का भुगतान शेष विवरण 'बौद्धिक सम्पदा प्रयोग के लिए प्रभार' श्रेणी के अंतर्गत आंकड़े दर्शाता है जो देश के सभी उद्योगों का संकलन है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए इस श्रेणी के अंतर्गत मंत्रालय में अलग से कोई भी आंकड़े उपलब्ध नहीं है । "बौद्धिक सम्पदा प्रयोग के लिए प्रभार" शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित आंकड़े (आंकड़ा स्रोतः विश्व बैंक) निम्नानुसार हैं:

वर्ष	राशि अमेरिकी बिलियन डॉलर
2014	4.85
2015	5.01
2016	5.47
2017	6.51
2018	7.91

जब खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उभर रही/भावी प्रौद्योगिकियों संबंधी क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया तब मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:–

मंत्रालय/निफ्टेम/आईआईएफपीटी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान परिषद (टीआईएफएसी) द्वारा किया गया मूल्यांकन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित उभर रहीं/भावी प्रौद्योगिकियों/मशीनरी को दर्शाता है:-

ङ. खाद्य पदार्थों का 3डी मुद्रण – विशिष्ट रूप से निर्मित निजी पोषण हेतु मुद्रण योग्य खाद्य मैट्रिक्स विकास के अलावा स्वदेशी 3डी प्रिंटर भी विकसित किया ।
ञ. खाद्य सुपुर्दगी प्रणाली एवं पैकेजिंग में नैनो प्रौद्योगिकी प्रयोग ।
ट. गैर-तापीय प्रसंस्करण तकनीकें ।
ठ. विभिन्न खाद्य प्रयोगों के लिए बायो सेंसर ।
ड. नोवल शुष्कीकरण तकनीकी (आरएफ शुष्कीकरण, रिफ्रैक्टिव खिड़की शुष्कीकरण, इंटेलट्रो स्प्रे शुष्कीकरण, फ्रीज स्प्रे शुष्कीकरण इत्यादि) ।
ढ. पैकेजिंग तकनीकें (खाद्य पैकेजिंग, माइक्रो पैकेजिंग, स्मार्ट पैकेजिंग, एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग, जल घुलनशील पैकेजिंग, स्व-तापन और शीतलन पैकेजिंग) ।
ण. रोबोशेफ जो खाना पकाने के तरीके को बदल सकते हैं ।
त. निजीकृत पोषण/बायो पुष्टिकरण ।
थ. अनुरेखणीयता में सुधार करने के लिए कृषि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में आमूल परिवर्तन करने के लिए ब्लॉक चेन ।
द. अनुक्रियात्मक एवं स्मार्ट फूड्स ।

. उल्लिखित क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए निफ्टेम/आईआईएफपीटी द्वारा उठाए गए कदमों संबंधी समिति के प्रश्न के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया। –

निफ्टेम

क. निफ्टेम ने इनमें से कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में अनुसंधान शुरू करने के लिए व्यक्तिगत संकाय को तीन लाख रुपए तक के व्यावसायिक विकास भत्ते (पीडीए) का प्रावधान किया है ।
ख. निफ्टेम ने छात्रों तथा संकाय सदस्यों के अनुसंधान को सहायता देने के लिए एक समर्पित अनुसंधान सेल सृजित किया है ।
ग. निफ्टेम, अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए एक्ट्रा मूरल फंडिंग हेतु आवेदन करने के लिए संकाय को प्रोत्साहित करता है ।
घ. निफ्टेम, उद्योग – शैक्षणिक सहबद्धता अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है ।
ङ. सेक्टर आधारित अनुसंधान क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय,राष्ट्रीय, कॉन्फ्रेंसिस, सेमीनार तथा कार्यशालाओं का संचालन किया जाता है ।

आईआईएफपीटी

इन क्षेत्रों में प्राथमिक अनुसंधान कार्य आईआईएफपीटी में शुरू किए जा रहे हैं । उदाहरण के लिए भारत का पहला फूड 3डी प्रिंटिंग अनुसंधान कार्य आईआईएफपीटी में किया गया था । आईआईएफपीटी, खाद्य नैनोटैक्नालॉजी, खाद्य का गैर-थर्मल प्रसंस्करण तथा व्यक्तिगत पोषण आदि जैसे उदीयमन क्षेत्रों में भी राष्ट्र में अग्रणी है । अनुप्रयुक्त अनुसंधान में भी बहुत अच्छे परिणाम आए है और कई उद्योगों ने इन उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण के लिए आईआईएफपीटी के पास आए है ।

जब उपरोक्त प्रौद्योगिकियों को लेकर में दोनों संस्थानों द्वारा किये जा रहे अनुसंधान का ब्यौरा देने के लिये कहा जाय तब मंत्रालय ने निम्नवत् बताया -

निफ्टेम

क. प्याज खराब होने का पता लगाने के लिए बायोसेंसर का विकास ।
ख. केले में कृत्रिम पक्वन का पता लगाने के लिए ग्राफीन आधारित बायोसेंसर ।
ग. आलू के छिलके से सेल्यूलोज आधारित पैकेजिंग सामग्री ।
घ. अनार के छिलके से एंटीऑक्सीडेंट आधारित खाद्य फिल्म ।
ङ. खाद्य उद्योग से बायोफिल्म हटाने के लिए बायो नैनो कंपोजिट।
च. खाद्य जनित रोगजनकों पर कब्जा करने और मारने के लिए स्मार्ट चुंबकीय नैनो सामग्री का विकास।
छ. खाद्य उद्योग के व्यवहार्य ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के तीव्र, मजबूत, सलेक्टिव, यूनिवर्सल सैफ स्टेनिंग के लिए बायोलॉजिकली डेराइव्ड फ्लोरोसेंट नैनो प्रोब ।
ज. हाइब्रिड सुपर हीटेड स्टीम ड्रायर का डिजाइन और विकास ।
झ. खाद्य उद्योग में प्रक्रिया स्वचालन के लिए आईटी/आईओटी अनुप्रयोग ।

आईआईएफपीटी

क. व्यक्तिगत पोषण के लिए 3-डी प्रिंटिड खाद्य पदार्थ डिजाइन करना
ख. नारियल तेल के गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए सेंसर का विकास
ग. कठिन परिस्थितियों में सशस्त्र बलों के लिए कोल्ड प्लाज्मा आधारित पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का डिजाइन और विकास
घ. फलों और सब्जियों के लिए रोगाणुरोधी एजेंटों के साथ एक्टिव इंटेलीजेंट पैकेजिंग प्रणाली का विकास
ङ. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और छिपी भूख की कमी का मुकाबला करने के लिए गैर-डेयरी सिम्बियाटिक फूड का विकास
च. खोल, टेस्टा, नारियल पानी को लगातार हटाने और नारियल गिरी के डाइसिंग के लिए एकीकृत नारियल प्रसंस्करण इकाई
छ. नीरा परिरक्षण और मूल्य वर्धन में प्रौद्योगिकी विकास और क्षमता निर्माण
ज. पोषणज खुराक के लिए β-कैरोटीन-इन साइक्लोडेक्सट्रिन-इन-आयरन लिपोसोम्स के लिए प्रक्रिया का विकास

झ. सिंथेटिक खाद्य परिरक्षकों के प्रभावी विकल्प के रूप में काजू अपशिष्ट से सूक्ष्म/नैनो-एनाकार्डिक एसिड का विकास
ञ. तरल खाद्य नि:सक्रमण के लिए गैर-थर्मल प्लाज्मा प्रणाली का विकास
ट. ग्रेनकेयर
ठ. इंजीनियर्ड नैनो खाद्य कणों का डिजाइन और विकास
ड. तत्काल फोमिंग घुलनशील कॉफी के उत्पादन के लिए कम तापमान प्रक्रिया के साथ नैनो पैटर्निंग
ढ. फ्रंटियर ईएम और इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ स्मार्ट वेयरहाउस
ण. आरएफ स्टरलाइजर का निष्पादन मूल्यांकन
त. विशेष व्यक्तियों के लिए न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद का विकास
थ. कृषि उपज के लिए मेगावाट ड्रायर/रोस्टर का डिजाइन और विकास
द. इसके अलावा आईआईएफपीटी ने नॉन-थर्मल प्रोसेसिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जन शक्ति संबंधी आवश्यकता

प्रसंस्करण क्षेत्र की कुशल एवं अर्ध-कुशल जनशक्ति आवश्यकता के . . . . . : देश में खाद्य मूल्यांकन संबंधी
रिपोर्ट के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं।-

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में (2022) मानव संसाधन एवं कौशल आवश्यकताओं को तैयार करने के लिए आईएमएसीएस (आईसीआरए प्रबंधन परामर्शी सेवाएं लि.) को नियुक्त किया है । उन्होंने क्षेत्र में जनशक्ति की कुल वार्षिक मांग की पहचान की है जो नीचे सारणी में दर्शाई गई है:-

श्रेणी	**अपेक्षित वार्षिक मांग**
खाद्य प्रौद्योगिकीविद – पीजी	2,384
खाद्य प्रौद्योगिकीविद	5,363
डिप्लोमा	4,768
आईटीआई/आईटीसी	4,768
10वीं/12वीं से कम शिक्षा वाले अल्पकालीन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित कार्मिक	95,351
कुल	**112,633**

स्रोत: आईएमएसीएस विश्लेषण

चूंकि संगठित क्षेत्र में सभी स्तरों पर आपूर्ति की तुलना में मांग की अधिकता की दृष्टि से अंतर है, यह अंतर उस समय अधिकतम होता है जब कम शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं से कम) वाले कार्मिकों को 'अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित कार्मिकों' के लिए मांग पर विचार किया जाता है । 10,000 से अधिक व्यक्तियों की आपूर्ति के मुकाबले वार्षिक आधार पर लगभग 1 लाख प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है । यदि असंगठित क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाए तो यह आवश्यकता 5.3 लाख से अधिक हो जाएगी ।

वार्षिक आधार पर (अर्थात वार्षिक आवश्यकता) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विभिन्न खंड़ों में मॉड्यूलर/अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए वृद्धिजनक मानव संसाधन आवश्यकता का भी ब्यौरा प्रस्तुत करती है ।

सेक्टर	कुल मांग	संगठित क्षेत्र अपेक्षित वार्षिक मांग (हजार में)
फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	12	2
खाद्यान्न मिलिंग	12	8
डेयरी उत्पाद	68	12
मांस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण	104	19
मछली प्रसंस्करण	1	0
ब्रेड एवं बेकरी	258	46
एल्कोहॉलिक पेय	42	8
वातित जल /मृदुपेय	2	0
कुल	**530**	**95**

स्रोत: आईएमएसीएस विश्लेषण

देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कुशल एवं अर्ध-कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने

कौशल भारत पहल (एनएसडीसी) के भाग के रूप में 87 कौशल प्रशिक्षण केंद्र हैं जो खाद्य प्रसंस्करण एवं 64 बीवीओसी कॉलेजों में विभिन्न कार्य भूमिकाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं । औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) कॉलेज हैं जो खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध शाखाओं में ग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट डिग्री कार्यक्रम चला रहे हैं । निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

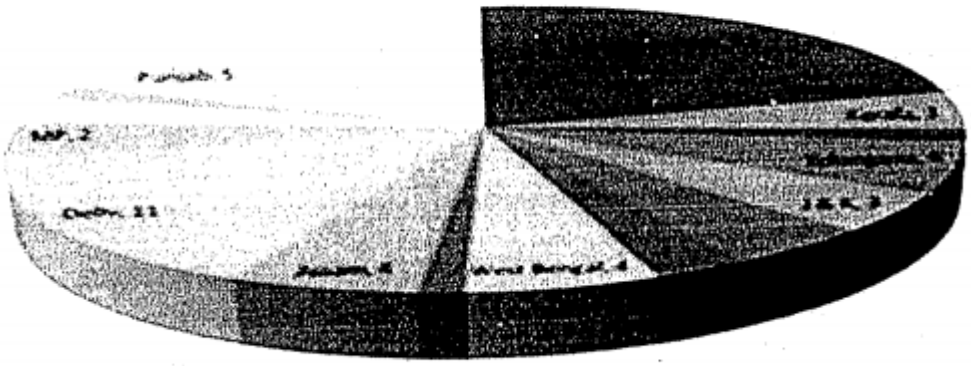

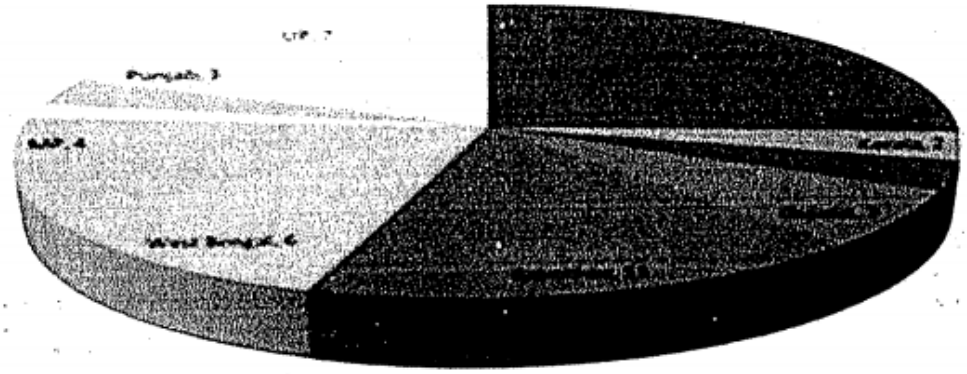

देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कुशल एवं अर्ध-कुशल जनशक्ति आवश्यकता/ कमी संबंधी जानकारी के प्रश्न के संबंध में मंत्रालय ने यह सूचित किया कि

चूंकि संगठित क्षेत्र में सभी स्तरों पर आपूर्ति की तुलना में मांग की अधिकता की दृष्टि से अंतर है, यह अंतर उस समय अधिकतम होता है जब कम शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं से कम) वाले कार्मिकों को 'अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित कार्मिकों' के लिए मांग पर विचार किया जाता है । 10,000 से अधिक व्यक्तियों की आपूर्ति के मुकाबले वार्षिक आधार पर लगभग 1 लाख प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है । यदि असंगठित क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाए तो यह आवश्यकता 5.3 लाख से अधिक हो जाएगी ।

यथा अभिज्ञात कुशल एवं अर्ध-कुशल जनशक्ति के अंतर को दूर करने के लिए निफ्टेम द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया :-

निफ्टेम

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास के अपने अधिदेश को पूरा करने के प्रयास में निफ्टेम, वर्ष 2011 से कई प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। खाद्य प्रसंस्करण में व्यक्तियों को कुशल एवं प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहें हैं:-

क. निफ्टेम परिसर में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) तथा राज्य कौशल मिशन के अंतर्गत – सभी उच्च स्तर के प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटीज), मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओएमटीज) तथा मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण (टीओएज) शामिल है ।

ख. कौशल विकास प्रशिक्षणों के अलावा, ग्राम अंगीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निफ्टेम द्वारा विभिन्न प्रकार के सूचना प्रसार, आउटरीच तथा खाद्य प्रसंस्करण के बारे में एक/दो सप्ताह के प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे ।

ग. विभिन्न संगठनों जैसे कि केवीआईसी, एनएचबी, कृषक उत्पादक संगठन, महिला उद्यमियों, एनजीओज तथा एफएसएसएआई आदि के लिए जब भी आवश्यकता हुई है तब आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे ।

घ. खाद्य प्रसंस्करण में 33 चुने हुए जॉब रोल्स के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तथा लर्निंग मैटेरियल विकसित किए गए जिनका उपयोग पीएमकेवीवाई तथा राज्य कौशल मिशनों के लिए किया जा रहा है ।

ङ. पीएमकेवीवाई तथा राज्य कौशल मिशनों के लिए खाद्य प्रसंस्करण में 13 नए जॉब रोल्स के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तथा लर्निंग मैटेरियल का का विकास किया जा रहा है ।

च. निफ्टेम ने वर्ष 2011-2012 से अब तक 105 प्रशिक्षण कार्यक्रमों (तीन से पांच दिवसीय तथा दो सप्ताह की अवधि के) में 4040 प्रतिभागियों को और 39 प्रशिक्षण कार्यक्रमों (आउटरीच/ एक दिवसीय) में 10055 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है ।

आईआईएफपीटी

आईआईएफपीटी, तंजावुर, गुवाहाटी, भटिंडा स्थित खाद्य प्रसंस्करण व्यापार ऊष्मायन केंद्र के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के सभी आयामों में किसानों, स्व-सहायता सदस्यों, बेरोजगार युवकों, छात्रों तथा उद्यमियों (शिक्षा और आयु सीमा के बगैर) समेत ग्राहकों को विभिन्न अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण दे रहा है ।

आईआईएफपीटी ने वर्ष 2010 से 2018 तक 295 परामर्शी, 1034 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 27 सचल प्रसंस्करण यूनिट कार्यक्रम तथा 319 ऊष्मायन सेवाएं संचालित की हैं और इन सेवाओं से क्रमश: 885, 10820, 23250 तथा 677 पणधारियों/ किसानों को लाभ दिलाया है ।

निफ्टेम का इरादा कम शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12 स्तर से कम) वाले व्यक्तियों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रमों हेतु छोटे केंद्र खोलना अथवा पाठ्यक्रम संचालित करना है(संबंधी) लोकसभा के प्रश्न के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया । -

जी हां , दोनों संस्थान कम शैक्षिक योग्यता (10वीं /12वीं के स्तर से कम) वाले लोगों के लिए लघु आवधिक पाठ्यक्रमों हेतु छोटे केन्द्र अथवा पाठ्यक्रम खोलना चाहते है ।

देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु अनुसंधान कर रहे विश्वविद्यालयों और संस्थानों का विवरण पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

देश में खाद्य प्रसंस्करण हेतु अनुसंधान कर रहे संस्थानों / विश्वविद्यालयों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्था का नाम
1	आंध्र प्रदेश	गीताम विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम
2	असम	तेजपुर विश्वविद्यालय, नापआम
3		असम कृषि विश्वविद्यालय, गुवाहाटी
4		असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम -788011
5		सीएसआईआर, एनईआईएसटी, जोरहाट
6		गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी
7		भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
8		सुकर पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, रानी गुवाहाटी 781131-असम
9	बिहार	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
10	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, रायपुर 492010
11	दिल्ली	गणेश साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली
12		भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
13		भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, हौजखास, नई दिल्ली110016
14		लेडी इरविन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, स्कंदरा रोड, नई दिल्ली
15		दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर, बेनीटो जुआरेज मार्ग, नई दिल्ली-110021
16	गुजरात	ए.डी. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आनंद
17		गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदारक्रुशीनगर
18		सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर
19		
20		सरदार क्रुशीनगर दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार क्रुशीनगर
21	हरियाणा	खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सीसीएस , हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-125004
22		गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार

23		लालालाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार
24		राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001
25		राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, सोनीपत131028
26	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन बॉयोरिसोर्स टेक्नोलॉजी संस्थान, पालमपुर
27	जम्मू एवं कश्मीर	खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
28	झारखंड	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम्स, रांची
29		बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राची

30		बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची
31	कर्नाटक	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर-570020
32		सीएसआईआर-सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, मैसूर, कर्नाटक
33		रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, डीएफआरएल, सिद्धारमैयानगर, मैसूर-570011
34		सेंटर फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैन ग्लोबल कैंपस, जैन यूनिवर्सिटी, रामनगरा जिला, बैंगलोर562112
35		एनडीआरआई, दक्षिणी क्षेत्रीय स्टेशन बंगलुरू, कर्नाटक
36		राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरतकाल, श्रीनिवासनगर, मंगलौर575025
37		कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक
38	केरल	अमृता सेंटर फॉर नैनोसेंस, अमृता विश्वविद्यापीठम, इलामकर, कोचीन-682026,केरल
39		
40		इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, कालीकट 673012, केरल।
41		आईसीएआर- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, कोचीन, केरल
42	महाराष्ट्र	मत्स्य संसाधन, हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, सात बंगले, वर्सोवा, मुंबई का विभाजन
43		कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पुसाद
44		डॉ बीएस कोंकण कृषि विद्यापीठ, डोपाली

45		डॉ बाबा साहब अमद्कार मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद
46		इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई400019
47		इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, अंधेरी, मुंबई
48		इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी बॉम्बे, पवई, मुंबई
49		मेसर्स घाटगे प्रिसिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सतारा
50		मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी
51		राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर
52		केमिकल इंजीनियरिंग डिवीजन, एनसीएल, पुणे,
53		एसजीबी अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती

54		शिवाजी विश्वविद्यालय, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कोल्हापुर416004
55		पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
56		विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय तकनीक संस्थान, नागपुर
57	मेघालय	कॉलेज ऑफ होम साइंस सीएयू, तुरा, मेघालय
58		राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, नोंगस्दर
59	ओडिशा	खाद्य प्रक्रिया अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
60	पांडीचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
61	पंजाब	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लुधियाना, पंजाब
62		गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना141004
63		गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर, पंजाब
64		पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़
65		थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला
66	राजस्थान	महाराणाप्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान
67	तमिलनाडु	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर641003
68		अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
69		बिशप हेबर कॉलेज, तिरुचिरापल्ली
70		पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर, तमिलनाडु के लिए सेंट्रल
71		केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, कोयंबटूर
72		मत्स्य महाविद्यालय अनुसंधान संस्थान, थुथुकुडी
73		भारतीय फसल प्रौद्योगिकी संस्थान तंजावुर, टी.एन.
74		आईआईटी मद्रास
75		करुणा विश्वविद्यालय, कोयंबटूर

76		कोंगू इंजीनियरिंग कॉलेज, इरोड
77		पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम, तमिलनाडु
78		सुगनथी देवदासन समुद्री अनुसंधान संस्थान, तूतीकोरिन, तमिलनाडु
79		गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर
80		तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, चेन्नई.
81		तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर
82		तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मदुरै

83		तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, पेरियाकुलम -625604, तमिलनाडु
84		मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, थुथुकुडी
85		वर्नरी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नमककल
86	तेलंगाना	सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हशीगुड़ा, उप्पल रोड,हैदराबाद-500007.
87		सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, हैदराबाद
88		राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर), जयोसमैनिया, हैदराबाद500007
89		आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, चेंगीशेरला, बोडरूपपाल (पोस्ट)
90	त्रिपुरा	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अगरतला
91	उत्तर प्रदेश	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ - 226025
92		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
93		बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, झांसी-284128.
94		केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, लखनऊ
95		केंद्रीय बकरी पर अनुसंधान संस्थान (सीआईआरजी), मखदूम, उप्र
96		आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलहन अनुसंधान, कल्याणपुर, कानपुर

97		भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली, यूपी
98		मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
99	पश्चिम बंगाल	बिधननगर कॉलेज डब्ल्यूबी.
100		पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशनसाल्ट लेक, कोलकत्ता 700091
101		भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल
102		जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
103		कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

निफ्टेम और आईआईएफपीटी में भर्ती

समिति द्वारा **मौजूदा संस्थानों अर्थात निफ्टेम और आईआईएफपीटी में फैकल्टीज की भर्ती की प्रक्रिया** के संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

जहां तक निफ्टेम का संबंध है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता की शर्तों तथा उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के अन्य उपायों को नियामक प्राधिकरणों नामतः यूजीसी तथा एआईसीटीई द्वारा निर्धारित किया गया है ।

उपर्युक्त प्राधिकरणों ने शैक्षणिक/अनुसंधान अंकों की गणना के लिए चयन पद्धति निर्धारित की है । सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसरों के पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती, अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से योग्यता के आधार पर की जाती है जिसके पश्चात यूजीसी तथा एआईसीटीई के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत गठित चयन समिति द्वारा उनका चयन किया जाता है । यूजीसी द्वारा शैक्षणिक/अनुसंधान अंकों की गणना के लिए चयन पद्धति भी निर्धारित की गई है ।

आईआईएफपीटी में शैक्षणिक संकायों की भर्ती, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा सहायक स्टाफ की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु बनाए गए आईआईसीपीटी सेवा नियम, 2007 द्वारा शासित है ।

शैक्षणिक संकायों को विभिन्न कैडरों जैसे कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वर्गीकृत किया गया है । प्रत्येक कैडर के लिए भर्ती नियम (आरआर) बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित किए जाते हैं । प्रत्येक कैडर के लिए शुरुआती नियुक्ति सीधी भर्ती से होती है । प्रत्येक कैडर की पोस्ट के लिए आरक्षण रोस्टर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों के अनुसार तैयार किया जाता है ।

संकायों की शुरुआती नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से पदों हेतु बनाए गए भर्ती नियमों के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । अनुवीक्षण समिति इस प्रकार प्राप्त आवेदनों का अंक पत्र के आधार पर अनुवीक्षण करती है और पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश करती है । अनुवीक्षण समिति द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है । भर्ती नियमों में दी गई संरचना के अनुसार एक चयन समिति का गठन किया जाता है । चयन समिति, साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन तथा अंक पत्र के अनुसार उनकी योग्यता के आधार पर पद के लिए चुने हुए अभ्यर्थी के नाम का अंतिम रूप से सिफारिश करती है । चुने हुए अभ्यर्थियों की सूची को अनुमोदन के लिए शासी बोर्ड के समक्ष रखा जाता है । शासी बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत चुने हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जाता है ।

जब यह पूछा गया कि क्या **आईआईएफपीटी द्वारा अपनाए गए भर्ती नियम यूजीसी और एआईसीटीई की पूर्वापेक्षाओं के अनुसार हैं**, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

आईआईएफपीटी में अपनाए गए भर्ती नियम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) विनियमों के अनुसार हैं।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात निफ्टेम को यूजीसी एवं एआईसीटीई के अधिकार क्षेत्र के संबंध में समिति द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

बिल के खण्ड-6 में बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है। जो अन्य के साथ-साथ अनुदेश एवं अनुसंधान तथा ऐसी शाखाओं में शिक्षण व ज्ञान के प्रसार को बढ़ाने के लिए, परीक्षा आयोजित करने एवं डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रामण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टता पत्र अथवा उपाधि देने, फैलोशिप, छात्रवृत्तियां शुरू करने व प्रदान करने, प्रदर्शनियों, पुरस्कारों और पदकों के लिए, ऐसे सभी कार्य करने के लिए जो संस्थान के सभी अथवा किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक अथवा अनुकूल हो सकते हैं के लिए उपबंध करने के लिए संस्थान को सक्षम बनाता है।

इसके अतिरिक्त बिल के खण्ड-12 में बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है जो संस्थान को अकादमिक, प्रशासनिक, तकनीकी एवं अन्य पदों को सृजित करने तथा विधानों द्वारा योग्यता, वर्गीकरण सेवा की शर्तें और निबंधन तथा ऐसे पदों की नियुक्ति की पद्धति और साथ ही केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात देश के भीतर और विदेश में खाद्य प्रसंस्करण तथा संबद्ध क्षेत्रों में अध्ययन केंद्रों की स्थापना करने के लिए भी सक्षम बनाती है।

इसलिए इस संबंध में यूजीसी तथा एआईसीटीई के विनियम आईएनआई का दर्जा देने के पश्चात निफ्टेम के ऐसे नियमों को बनाने के लिए दिशानिर्देश के रूप में देखें जाएं।

मौजूदा संस्थानों को अपनी फैकल्टीज के लिए उत्कृष्ट प्रतिभा को आकर्षित करने में इस दोनों समस्याओं के संबंध में समिति द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

अपने संकाय के लिए प्रतिभा को आकर्षित करने में मौजूदा संस्थानों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे निम्नवत हैं:

क) दीर्घावधिक आधार पर अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश तथा स्टेज/आउटरीच कार्यक्रमों की कमी।

ख) इस क्षेत्र में योग्य जनशक्ति की सीमित आपूर्ति।

ग) उच्च परिलब्धि/प्रोत्साहन के भुगतान में लचीलेपन की कमी।

यूजीसी और एआईसीटीई के मौजूदा नियम दीर्घावधि आधार पर अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश और स्टेज/आउटरीच कार्यक्रमों को रोकने के तरीकों के संबंध में समिति द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

यूजीसी के 2018 के नियमों में उपबंध है कि विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक स्थाई अध्यापक जिसने एसोशिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो उसे अपनी पूर्णतः दक्षता बढ़ाने और विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लाभ के प्रयोजन से अध्ययन या अनुसंधान या अन्य कोई शैक्षणिक अनुसंधान करने के लिए अध्ययन प्रोत्साहन छुट्टी दी जा सकती है । एक समय में छुट्टी की अवधि एक साल से अधिक और पूरे सेवा काल के दौरान दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । किसी भी शिक्षक को अध्ययन प्रोत्साहन छुट्टी पर जाने से ठीक पहले लागू दरों पर पूरा वेतन और भत्ते का अध्ययन प्रोत्साहन छुट्टी की अवधि के लिए पूर्व भुगतान किया जाएगा ।

इसी प्रकार एआईसीटीई के 2019 के नियमों में निर्धारित किया गया है कि फैकल्टी के सदस्य उद्योग में कार्य करने/पेशवर विकास हेतु 6 महीने की अध्ययन प्रोत्साहन छुट्टी के पात्र होंगे बशर्ते कि फैकल्टी को कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव हो । इस प्रकार की छुट्टी शिक्षण जीवन काल में केवल दो बार उपलब्ध होगी ।

इसलिए यूजीसी और एआईसीटीई के विद्यमान नियम नियामक प्रकृति के हैं ।

गुणवत्तायुक्त संकाय आकर्षित करने के लिए अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश की अवधि के संबंध में समिति द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

अधिकतम तीन वर्ष की अध्ययन प्रोत्साहन छुट्टी गुणवत्तता फैकल्टी को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित हो सकती है और इसे अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

आईएनआई का दर्जा दिए जाने के पश्चात देश में योग्य संकाय की कमी से निपटने के तरीकों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

संस्थान की आईएनआई के रूप में प्रीमियम ब्रांडिंग ही देश के भीतर योग्य फैकल्टी को आकर्षित कर सकती है । इसके अलावा विदेशी सहयोग प्राप्त करने का लचीलापन फैकल्टी आदान-प्रदान कार्यक्रम समर्थ बनाता है जिसके माध्यम से सक्षम फैकल्टी सदस्यों की सेवा विजटिंग/अनुबद्ध फैकल्टी सदस्यों को विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों से उपलब्ध हो सकते हैं ।

एनआईएफटीईएम/आईआईएफपीटी में निजी क्षेत्र अथवा खाद्य प्रसंस्करण में भर्ती के संबंध में समिति द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया :

निफ्टेम और आईआईएफपीटी द्वारा अपनाए गए भर्ती नियम (जो एआईसीटीई/यूजीसी/आईसीएआर के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं), निजी क्षेत्र अथवा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से भर्ती करने में यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों तो प्रतिबंध नहीं लगाते हैं । निजी क्षेत्र/खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का पूर्व अनुभव रखने वाले वर्तमान संकाय का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अनुभव
1.	प्रो. मंजीत अग्रवाल	प्रोफेसर	श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च
2.	डॉ. पीके नेमा	एसोसिएट प्रोफेसर	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, फेवल निवेश लिमिटेड, केएनके कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी)
3.	डॉ. विजेंद्र मिश्रा	एसोसिएट प्रोफेसर	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, मोदी विश्वविद्यालय, स्वामी रामानंद तीर्थ, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
4.	डॉ. कल्याण दास	एसोसिएट प्रोफेसर	बी.पी. पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बाड़ानगर श्री श्रीरामकृष्ण विद्यापीठ, हेराम्बा चंद्र कॉलेज, वीआईटी विश्वविद्यालय
5.	डॉ. संजय भायाना	एसोसिएट प्रोफेसर	छज्जू राम मेमोरियल (सीआरएम) जाट कॉलेज, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, जन नायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ, एमआर डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एमएस एशियनलेक हेल्थ फूड लिमिटेड
6.	डॉ. नील एमानुएल	एसोसिएट प्रोफेसर	टेक्सास एएंडएम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी
7.	डॉ. विकास सक्सेना	एसोसिएट प्रोफेसर	ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आईआईएमटी मैनेजमेंट कॉलेज, इनमैंटेक बिजनेस स्कूल, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी

8.	डॉ. विमल पंत	एसोसिएट प्रोफेसर	एएमए, आईएफटीएम, आरआर ग्रुप, यूको बैंक
9.	डॉ. नीरज	एसोसिएट प्रोफेसर	एसोचैम, आईआईटी, डीएएडी जर्मनी
10.	डॉ. पी. मुरली कृष्ण	असिस्टेंट प्रोफेसर	आंध्र विश्वविद्यालय में जेआरएफ
11.	डॉ. भस्वती भट्टाचार्य	असिस्टेंट प्रोफेसर	यूनिवर्साइटिट स्टेलेनबोश विश्वविद्यालय
12.	डॉ. चक्रवर्ती सरवनन	असिस्टेंट प्रोफेसर	कोइम्ब्रा पुर्तगाल
13.	डॉ. तृप्ति अग्रवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जेएनयू, एआरटी रिसर्च स्टेशन, आईएआरआई
14.	श्री कुमार राहुल	असिस्टेंट प्रोफेसर	श्यामलाल कॉलेज
15.	डॉ. विजय कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	शारदा विश्वविद्यालय
16.	डॉ. प्रारब्ध बडगूजर	असिस्टेंट प्रोफेसर	ज्वांइन करने के समय कोई अनुभव नहीं

17.	डॉ. कोमल चौहान	असिस्टेंट प्रोफेसर	एसडी कॉलेज, बनथली विश्वविद्यालय
18.	डॉ. नीतू कुमरा तनेजा	असिस्टेंट प्रोफेसर	वेक फोरेस्ट में डॉक्टोरल रिसर्च फेलो
19.	डॉ. राखी सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	बीएचयू
20.	श्रीमती एस. थंगा लक्ष्मी	असिस्टेंट प्रोफेसर	पद्मवती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सेतु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एकेजीईसी
21.	डॉ. अनुपमा पंघाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	नेफेड
22.	डॉ. सपना	असिस्टेंट प्रोफेसर	चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, जेसीडी कॉलेज ऑफ इंजी., जेसीडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
23.	डॉ. विकेल अरोड़ा	असिस्टेंट प्रोफेसर	आईटीएम यूनिवर्सिटी, जन नायक चौधरी देवीलाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, टाटा मोटर्स
24.	श्री विजय सिंह शारंगत	असिस्टेंट प्रोफेसर	कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज जेएनकेवीवी
25.	डॉ. अनुराग सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस
26.	डॉ. प्रशांत कुमार आर	असिस्टेंट प्रोफेसर	अन्नामाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, सेशाचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज
27.	डॉ. सारिका यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर	यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
28.	श्री नितिन कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	असम विश्वविद्यालय, आईडीएमसी, भारत लैब इंडस्ट्रीज

29.	डॉ. बरजिंदर पाल कौर	असिस्टेंट प्रोफेसर	निफ्टम
30.	श्री आनंद किशोर	असिस्टेंट प्रोफेसर	एसोकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट
31.	डॉ. अंकुर ओझा	असिस्टेंट प्रोफेसर	मानसिंह भाई डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान
32.	श्री अरुण शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	आरपीआईआईटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
33.	डॉ त्रिभुवन नाथ	असिस्टेंट प्रोफेसर	बीएचयू, आईआईएम, निफ्टेम
34.	डॉ मुरलीधर मेघवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	जैन विश्वविद्यालय
35.	श्री प्रमोद कुमार प्रभाकर	असिस्टेंट प्रोफेसर	निफ्टम, आईआईटी खड़गपुर

आईआईएफपीटी :- शून्य

जब निफ्टेम तथा आईआईएफपीटी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अनुभव वाले काफी निम्न स्तर के संकाय होने के कारणों के बारे में पूछा तब मंत्रालय ने निम्नवत् बताया :-

यूजीसी में यथा परिकल्पित पूर्ववर्ती भर्ती दिशानिर्देश औद्योगिक अनुभव को विचार करने के मामले में नियामक प्रकृति के थे । निफ्टेम स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में उद्योग से अधिक प्रतिभा को आकर्षित नहीं कर सका । फैकल्टी के सदस्य आईआईएफपीटी के वर्तमान भर्ती नियमों के आधार पर भर्ती किए गए थे जो औद्योगिक अनुभव की मांग नहीं करते हैं ।

निफ्टेम/आई आई एफ पी टी की विजिटिंग फैकल्टी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में विख्यात/अनुभवी लोगों को आमंत्रित करने हेतु नीति के संबंध में समिति के प्रश्न के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया । —

हां, निफ्टेम और आईआईएफपीटी दोनों विजटिंग फैकल्टी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के ख्याति प्राप्त/अनुभवी व्यक्तियों को आमंत्रित करता है । ऐसी फैकल्टीज का ब्यौरा **परिशिष्ट-II** में दिया गया है ।

जब निफ्टेम और आई आई एफ पी टी में संकायों के लिये परिलब्धियों की मौजूदा संरचना संबंधी ब्यौरा देने के लिये कहा गया तब मंत्रालय ने निम्नवत् बताया :-

निफ्टेम के संकायों की परिलब्धियों की मौजूदा संरचना केंद्रीय विश्वविद्यालय के संकायों की वेतन संरचना से तुलनीय है क्योंकि निफ्टेम ने अपने शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ के लिए यूजीसी के 7वें सीपीसी स्केल को अपनाया है ।

आईआईएफपीटी, अपने संकाय के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा 7वें सीपीसी के अनुसार परिलब्धियां दे रहा है ।

क्र.सं.	पद का नाम	पे-लेवल
1	प्रोफेसर	लेवल-14
2	एसोसिएट प्रोफेसर	लेवल-12*
3	असिस्टेंट प्रोफेसर	लेवल-10
* केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लेवल-13 ए		

योग्य संकाय आकर्षित करने के लिए किस स्तर के वेतन की जरूरत है संबंधी समिति के प्रश्न के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया: -

अन्य विद्यमान आईएनआई दर्जे के संस्थानों के बराबर ।

अन्य आईएनआई संस्थानों जैसे आईआईटीज/आईआईएम्स/एम्ससिस में पहले से ही अधिक वेतन पैकेज निफ्टेम को बेहतर फैकल्टी आकर्षित करना सुगम बनाएगा । इससे उन्हें आईआईटीज और आईआईएम्स के बराबर अन्य सेवा शर्तों पर भी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा । आईएनआई दर्जे के अंतर्गत निफ्टेम के विधिक निकाय अध्ययन प्रोत्साहन छुट्टी अथवा अल्पकालिक विनिमय के लिए विश्व के अग्रणी संस्थानों से ख्याति प्राप्त फैकल्टी को अधिक वेतन के उपबंध कर सकेंगे ।

निफ्टेम/आईआईएफपीटी में बॉयोमेट्रिक उपस्थिति के उपयोग संबंधी समिति के प्रश्न के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया: -

जी हां, निफ्टेम 2012 से बॉयोमेट्रिक उपस्थिति का अनुपालन कर रहा है ।

छात्रों की उपस्थिति के लिए 58 बॉयोमेट्रिक मशीनें	बॉयोमीट्रिक प्रत्येक प्रयोगशाला, पठनकक्ष, पुस्तकालय, छात्रावास, मुख्य द्वार पर लगाई गई है ।
स्टाफ की उपस्थिति के लिए 3	स्टाफ की उपस्थिति के लिए बॉयोमीट्रिक मशीनें प्रशासनिक

बॉयोमेट्रिक मशीनें	ब्लॉक, मुख्य द्वार और शैक्षणिक कोर्ट यार्ड में लगाई गई हैं ।
कुल मशीनें	61

जी हां, आईआईएफपीटी 2016 से बॉयोमेट्रिक उपस्थिति का अनुपालन कर रहा है ।

बॉयोमेट्रिक उपस्थिति-1	मुख्य भवन में स्टाफ के लिए
बॉयोमेट्रिक उपस्थिति-1	मुख्य भवन में छात्रों के लिए
बॉयोमेट्रिक उपस्थिति-1	मुख्य द्वार पर छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए
कुल मशीनें	**3**

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग

विभाग ने अपने पुष्टीकरण रिपोर्ट में यह बताया है

। यह संस्थानों को शैक्षणिक और अनुसंधान के स्तर पर विदेशी सहयोग प्राप्त करने की भी शिथिलता उपलब्ध कराएगा । इसमें स्पष्टीकरण यह बताया गया है कि

निफ्टेम ने 7 विदेशी विश्वविद्यालयों जैसे कि निम्ब्रास्का लिंकॉन विश्वविद्यालय (यूएसए), कन्सास राज्य विश्वविद्यालय (यूएसए), सास्काशेवन विश्वविद्यालय, कनाडा, खाद्य संरक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान (आईएफएसएच) (शिकागो), मैकगिल विश्वविद्यालय (कनाडा), एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकाक (थाईलैंड), वैग्निन विश्वविद्यालय (नीदरलैंड्स), के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर हस्ताक्षर किया है । इन समझौता ज्ञापनों से छात्रों, संकायों, विशेषज्ञों तथा खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास के सतत आदान-प्रदान में सुगमता हुई है ।

इन समझौतों के अंतर्गत निफ्टेम के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय भागीदार संस्थानों में लघु एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण-सह-अनुसंधान अनुभवों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर दिलाया जा रहा है । अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत अब तक विभिन्न शैक्षणिक वर्षों के बैचों के लगभग 120 छात्रों को लाभान्वित किया गया है ।

आईआईएफपीटी ने छात्रों, संकायों, विशेषज्ञों तथा खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास के सतत आदान-प्रदान की सुविधा के लिए कनाडा, नीदरलैंड्स, थाईलैंड, इथियोपिया, फ्रांस, जापान तथा यूएसए के 16 विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर हस्ताक्षर किया है ।

इन सहयोगों के अंतर्गत, एमटेक तथा पीएचडी के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय भागीदार संस्थानों में लघु तथा दीर्घावधिक प्रशिक्षण-सह-अनुसंधान अनुभवों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रदान किया गया है और एमटेक के 14 छात्र अपना अनुसंधान कार्य का हिस्सा पूरा करने फ्रांस गए हैं ।

संस्थानों को विदेशी सहयोगों के लिए क्या अतिरिक्त छूट उपलब्ध कराई जाएगी यदि वे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं? बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:-

आईएनआई दर्जा विदेशी सहयोगों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त लचीलापन उपलब्ध कराएगा:-

क. विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ संयुक्त शैक्षणिक/अनुसंधान कार्यक्रम सृजित करना समर्थ बनाना ।
ख. छात्रों को वैश्विक नागरिकता और अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना ।
ग. विशिष्टीकृत अनुसंधान सुविधाओं तक फैकल्टी पहुंच सुगम बनाना जो देश के संस्थानों में उपलब्ध नहीं हैं ।
घ. बहु वित्त-पोषण स्रोतों से वित्त लेबरेज करना ।
ङ. ऑफ-शोर केंद्र खोलना ।
च. अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय विश्रामकालीन उपबंध ।

इन संस्थानों को उल्लिखित विदेशी सहयोगों से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं? बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया।-

इन संस्थानों ने अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं । इस प्रकार के विदेशी सहयोगों के माध्यम से प्राप्त हुए कुछ लाभ हैं:-

क. फैकल्टी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ है । कुछ फैकल्टी सदस्यों ने विदेशी विश्वविद्यालयों में अपने पीएच.डी अनुसंधान कार्य का हिस्सा भी पूरा किया है ।
ख. छात्र और फैकल्टी ने विदेशी विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रयोगशालाओं से अनुभव प्राप्त किया है जिससे उनके ज्ञान आधार को तीव्र करने में सहायता मिली है और संस्थान के शिक्षण मानकों में सुधार करने में दक्षता प्राप्त हुई है ।
ग. एमबीए छात्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/संगठनों/उद्योगों के उन्द्रासन दौरों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवधारणाओं की बेहतर समझ प्राप्त हुई है और प्रबंधन मामलों की भी समझ बढ़ी है जो छात्रों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्लेसमेंट में सहायक रही ।
घ. उद्यमियों की सहायता के लिए निफ्टेम में डेनफॉस शीत श्रृंखला विकास स्कूल की स्थापना की गई ।

इन विदेशी सहयोगों का इन संस्थानों पर कोई वित्तीय विवक्षाओं का प्रभाव हुआ/व्यय का प्रभाव पड़ा है संबंधी समिति के सदस्य के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया :-

इन सहयोगों में वित्तीय विवक्षाएं उसी सीमा तक हैं जहां व्यक्तिगत संस्थाएं अपने छात्रों/फैकल्टीज के उद्भासन दौरे के संबंध में यात्रा व्यय वहन करती हैं ।

निफ्टेम में प्रवेश प्रक्रिया

खंड 23(ग) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान की उपाधियों एवं डिप्लोमाओं हेतु परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अपनाई जाने वाली फीस हेतु उपबंध करता है।

शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया/तंत्र निम्नवत हैं:

निफ्टेम

पाठ्यक्रम	प्रवेश की प्रक्रिया	पाठ्यक्रम अनुमोदन प्राधिकरण	डिग्री प्रत्यायन प्राधिकरण
बीटेक	एमएचआरडी द्वारा आयोजित जेईई (मेन्स) के अखिल भारतीय रैंक के आधार पर संस्थान की कांउसलिंग	यूजीसी	एआईसीटीई
एमटेक	गेट प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर । उसके पश्चात शेष बची हुई सीटें निफ्टेम द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाती हैं ।	यूजीसी	एआईसीटीई

एमबीए	कैट/मैट के पिछले दो वर्षों के वैध अंक तथा गैर-कैट/मैट वर्ग के आवेदकों के लिए एक आंतरिक परीक्षा के आधार पर । सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों का अंतिम चयन जीडी/पीआई, पूर्व के शैक्षणिक प्रदर्शनों तथा कार्य अनुभव के आधार पर किया जाता है ।	यूजीसी	एआईसीटीई
पीएचडी	पीएचडी अनुसंधान प्रवेश परीक्षा (आरईटी) उसके पश्चात साक्षात्कार के आधार पर । सीएसआईआर-यूजीसी जेआरएफ अथवा कोई अन्य जेआरएफ होल्डरों को प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है परंतु उन्हें साक्षात्कार में शामिल होना आवश्यक है ।	यूजीसी	एआईसीटीई

आईआईएफपीटी

पाठ्यक्रम	प्रवेश की प्रक्रिया	पाठ्यक्रम सहबद्ध है	डिग्री प्रत्यायन प्राधिकरण
बीटेक	एमएचआरडी द्वारा आयोजित जेईई (मेन्स) के अखिल भारतीय रैंक के आधार पर संस्थान की कांउसलिंग	टीएनएयू (तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय)	एआईसीटीई
एमटेक	स्नातक पूर्व के अंकों तथा आईआईएफपीटी प्रवेश परीक्षा के आधार पर ।	टीएनएयू	एआईसीटीई
पीएचडी	स्नातक पूर्व तथा परा-स्नातक के अंकों और लघु लिखित परीक्षा और उसके पश्चात व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर ।	टीएनएयू	एआईसीटीई

साक्षात्कार के दौरान मुद्दे पर और विस्तार करते हुए निदेशक के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया :

"... सभापति की अनुमति से मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सभी प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किए जाते हैं । हम केवल 2000 रैंक तक

विद्यार्थी ही लेते हैं और 3 लाख से ऊपर भी पहुँच जाती है। कभी-कभी यह लगभग 1.7-1.8 लाख पर ही सीमित हो जाती है। इस तरह से गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। हम रोस्टर का मूलतः भी/अनुपालन करते हैं। विभाग क्रम से अनारक्षित वर्ग, अजा और अजजा तथा पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण का भी अनुपालन किया जाता है। हम इस पर विचार करते हैं और जेईई को ~~अंतिम क्रम देते हैं।~~ " का निर्धारित करते हैं।

निष्क्रेश हेतु शुल्क संरचना

- निष्क्रेम और आईआईएमसी के विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

संस्थानों की शुल्क संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(राशि रुपए)

विवरण	बी.टैक		एम.टैक		पीएच.डी	
	प्रथम सेमिस्टर	दूसरे सेमिस्टर से आगे	प्रथम सेमिस्टर	दूसरे सेमिस्टर से आगे	प्रथम सेमिस्टर	दूसरे सेमिस्टर से आगे
क) प्रवेश के समय (एक समय)						
संस्थान विवरणिका और नामांकन फार्म	1000	शून्य	1050	शून्य	1030	शून्य
प्रवेश शुल्क	5000	शून्य	4300	शून्य	3600	शून्य
पहचान पत्र शुल्क	400	शून्य	400	शून्य	400	शून्य
लाइब्रेरी और बुक बैंक शुल्क	4200	शून्य	4600	शून्य	4600	शून्य
एल्यूमिनी शुल्क	1300	शून्य	1300	शून्य	1300	शून्य
ख) विकास निधि						
संस्थान विकास निधि ट्यूशन और अन्य शुल्क	24200	24200	13800	13800	10700	10700
इनोवेशन निधि	6000	6000	3450	3450	2700	2700
छात्रवृत्ति निधि	6000	6000	3450	3450	2700	2700
छात्र गतिविधि और कल्याण निधि	6000	6000	3450	3450	2700	2700
छात्रावास विकास निधि	11800	11800	6000	6000	4700	4700
(ग) ट्यूशन और अन्य शुल्क						
ट्यूशन फीस/* मार्गदर्शन शुल्क	44300	44300	14300	14300	4600	4600
प्रयोगशाला सहायता शुल्क	4200	4200	7400	7400	8200	8200
परीक्षा शुल्क/* कार्यक्रम रिपोर्ट शुल्क	3000	3000	2400	2400	2800	2800
घ) एक बारगी प्रतिभूति जमा (प्रतिदेय)						
संस्थान सुरक्षा जमा	5000	शून्य	1000	शून्य	1000	शून्य
पुस्तकालय सुरक्षा जमा	5000	शून्य	1000	शून्य	1000	शून्य
मेस सुरक्षा जमा	5000	शून्य	5000	शून्य	5000	शून्य
ड.) छात्रावास और अन्य सुविधाएं						
हॉस्टल किराया (सीट वार)	8500	8500	9300	9300	8820	8820
चिकित्सा शुल्क	2100	2100	2200	2200	2200	2200
बिजली, आईटी और पानी की आपूर्ति	3500	3500	3400	3400	3400	3400
मेस शुल्क **	16000	16000	16000	16000	16000	16000
कुल	**162500**	**135600**	**1,03,800**	**85,150**	**87,450**	**69,520**

*केवल पीएच.डी के लिए -

नोट:- 1 उपर्युक्त के अलावा दीक्षांत समारोह के अवसर पर 2500.00 रुपए दीक्षांत शुल्क के लिए जाएंगे। **मैस शुल्क पाठ्यक्रमों के बीच में किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार परिवर्तित हो सकता है।

2. विस्तृत मौखिक मूल्यांकन एवं थीसिस मूल्यांकन (थीसिस जमा करने के समय)	21800

निफ्टेम में एमबीए कार्यक्रम हेतु शुल्क संरचना
(2019-2021)

(राशि रुपए)

क्र.सं.	शुल्क का ब्यौरा	वर्ष -I		वर्ष -II	
		सेमिस्टर-1	सेमिस्टर -2	सेमिस्टर -3	सेमिस्टर -4
1	प्रवेश के समय				
1.1	संस्थान हैंडबुक और नामांकन फार्म	1,500	शून्य	शून्य	शून्य
1.2	प्रवेश शुल्क	4,600	शून्य	शून्य	शून्य
1.3	पहचान पत्र शुल्क	500	शून्य	शून्य	शून्य
1.4	एल्यूमिनी शुल्क	5,150	शून्य	शून्य	शून्य
2	विकास निधियां				
2.1	संस्थान विकास निधि	31,800	26,600	26,600	26,600
2.2	इनोवेशन फंड	5,250	4,200	4,200	4,200
2.3	स्टार्ट अप फंड	10,600	8,000	8,000	8,000
2.4	छात्र गतिविधि और कल्याण कोष	6,400	5,300	5,300	5,300
3	ट्यूशन और अन्य अकादमिक शुल्क				
3.1	ट्यूशन फीस	1,06,100	1,06,100	1,06,100	1,06,100
3.2	लैब सहायता शुल्क (संचार प्रयोगशाला/वित्त प्रयोगशाला)	3,200	3,200	3,200	3,200
3.3	परीक्षा शुल्क	10,600	10,600	10,600	10,600
3.4	बुक बैंक और विभागीय पुस्तकालय के लिए मामले (मामले छात्रों को दिए जा सकते हैं)	12,800	12,800	12,800	12,800
3.5	शैक्षिक दौरा/आउटडोर शिविर	8,480.00	8,480	8,480	8,480
3.6	अंतरराष्ट्रीय विसर्जन	शून्य	शून्य	1,30,000	शून्य
4	एक बारगी सुरक्षा शुल्क				
4.1	संस्थान सुरक्षा जमा	5,000	शून्य	शून्य	शून्य
4.2	पुस्तकालय सुरक्षा जमा	5,000	शून्य	शून्य	शून्य
4.3	मेस सुरक्षा जमा	5,000	शून्य	शून्य	शून्य
5	छात्रावास और अन्य सुविधाएं				
5.1	हॉस्टल शुल्क (दो की साझेदारी के आधार पर)	31,900	31,900	31,900	31,900
5.2	चिकित्सा शुल्क	2,200	2,200	2,200	2,200
5.3	बिजली, आईटी और पानी की आपूर्ति	5,300	5,300	5,300	5,300
5.4	मैस प्रभार	16,000	16,000	16,000	16,000
सेमेस्टरवार कुल देय शुल्क		2,77,380	2,40,680	3,70,680	2,40,680
देय वार्षिक शुल्क		5,18,060.00		6,11,360.00	
अध्ययन के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए देय कुल कार्यक्रम शुल्क		11,29,420.00			

आईआईएफपीटी की शुल्क संरचना:-

(राशि रुपए.)

क्र.सं.	ब्यौरा	बी.टैक	एम.टैक	पीएच.डी
क.	एकबारगी शुल्क			
1.	प्रवेश शुल्क	12600	12600	12600
2.	आईडी कार्ड शुल्क	400	400	400
3.	सेमीनार/थीसिस शुल्क	1350	3000	13000
4.	सावधानी जमा (प्रतिदेय)	4350	4350	4350
5.	पुस्तकालय जमा शुल्क (प्रतिदेय)	650	650	650
6.	व्यापक परीक्षा शुल्क	-	1200	2800
7.	साहित्यक चोरी रोधी शुल्क	-	3000	3000
	कुल- क	**19350**	**25200**	**36800**
ख.	सेमेस्टर फीस	38000	31500	31500
1.	ट्यूशन फीस	6000	6300	6300
2.	लैब सहायता शुल्क	1900	3975	1650
3.	पुस्तकालय शुल्क	5000	6620	7730
4.	परीक्षा शुल्क	5200	4800	2250
5.	छात्र गतिविधियां	4700	4500	1500
6.	आईटी सहायता	400	600	600
7.	चिकित्सा और बीमा शुल्क	38000	31500	31500
	कुल-ख	**61200**	**58295**	**51530**

तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क की ऊपरी सीमा

देश में विभिन्न शैक्षणिक / पेशेवर / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ऊपरी शुल्क संरचना के लिए उपलब्ध ~~केंद्र~~ * विधान / कानून के संबंध में समिति के प्रश्न पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई विधान नहीं है जिसमें शुल्क संरचना को ऊपरी सीमा निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है।

हालांकि, एआईसीटीई की अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक (2018-19) की समीक्षा पर समिति पाती है कि एआईसीटीई, राष्ट्रीय शुल्क समिति द्वारा पूर्वकालिक कार्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम ट्यूशन और विकास शुल्क प्रदान करता है। जब इस प्रकार के दिशानिर्देशों के बारे में मंत्रालय/निपटेम की जानकारी के बारे में पूछा गया तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

एआईसीटीई अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक 2018-19 तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम शुल्क की सिफारिश करती है।

एआईसीटीई द्वारा यथा अधिदेशित अधिकतम ट्यूशन एवं विकास शुल्क संबंधी अतिरिक्त दिशानिर्देशों का निपटेम ~~और~~ और आईआईएमपीटी पर लागू होने के संबंध में समिति के प्रश्न पर मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया :-

अधिकतम शिक्षा एवं विकास शुल्क से संबंधित एआईसीटीई के दिशानिर्देश निफ्टेम और आईआईएफपीटी पर लागू हैं । आईआईएफपीटी द्वारा लिया जाना वाला शुल्क एआईसीटीई द्वारा अधिदेशित अधिकतम शिक्षा एवं विकास शुल्क से कम है । एआईसीटीई, दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए निफ्टेम की निगरानी करता है ।

उल्लेखित दिशानिर्देशों के लिए निफ्टेम और आईआईएफपीटी की मौजूदा शुल्क संरचना के अनुपालन के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

आईआईएफपीटी अपने बी.टेक तथा एम.टेक पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई के दिशानिर्देशों के मुताबिक चलता है । निफ्टेम, एम.टेक पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है । मंत्रालय, एआईसीटीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यक एडवाइजरी जारी करेगा ।

विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा लिए जा रहे शुल्क की तुलना में, समिति ने पाया कि निफ्टेम, कुछ राष्ट्रीय शुल्क समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम शुल्क से अधिक शुल्क ले रहा है । राष्ट्रीय शुल्क समिति द्वारा पूर्ण कालिक कार्यक्रमों हेतु प्रतिवर्ष के लिए निर्धारित किया गया अधिकतम ट्यूशन और विकास शुल्क का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

राष्ट्रीय शुल्क समिति द्वारा पूर्णकालिक कार्यक्रमों हेतु प्रतिवर्ष के लिए सिफारिश किया गया अधिकतम ट्यूशन और विकास शुल्क

	X टाईप के शहर	Y टाईप के शहर	Z टाईप के शहर	निफ्टेम द्वारा लिए जा रहे ट्यूशन और विकास शुल्क का प्रतिवर्ष का औसत
आद्यतन डिग्री कार्यक्रम				
4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री	158300	150500	144900	210900
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कार्यक्रम				
2 साल की इंजीनियरिंग डिग्री	251350	239950	231350	108500
2 साल की एमबीए	171300	163400	157800	375535*

शुल्क में रियायत

अजा/अजजा/ओबीसी/महिला/दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु शुल्क में रियायत के संबंध में समिति के प्रश्न पर मंत्रालय ने बताया कि संस्थान अजा/अजजा/ओबीसी/महिला/दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं देता है। यद्यपि, संस्थान विद्यार्थियों को उनकी राज्य सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आदि से छात्रवृत्ति देने की सुविधा देता है। जब अजा/अजजा/

ओबीसी/ महिला / दिव्यांग विद्यार्थियों को शुल्क में रियायत के संबंध में आईआईटी, आईआईएम जैसे अन्य आईएनआई की नीति के बारे में पूछा गया तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पुष्टि की गई है, आईआईटीज तथा एनआईटीज जैसे कुछ आईएनआईज एससी/एसटी/दिव्यांग छात्रों को शुल्क से पूर्ण छूट और वर्ष 2016-17 से आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (परन्तुओबीसी/महिलाओं को नहीं) के लिए शुल्क में रियायत देते रहे है।

ट्यूशन शुल्क माफी योजना

बी.टेक, एम.टेक और एमबीए जैसे पाठ्यक्रमों का डिग्री अनुमोदन प्राधिकरण, अप्रूवल प्रोसेस हेंडबुक (2018-19) ट्यूशन शुल्क माफी योजना का उपबंध करता है जो बताता है कि जिन अभिभावकों की वार्षिक आय सभी साधनों से 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी उनके पुत्र और पुत्रियाँ ट्यूशन शुल्क माफी योजना के पात्र होंगे। मंत्रालय / ~~निदेशक~~ द्वारा इस प्रकार के दिशानिर्देशों के संचालन के संबंध में समिति द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

एमएचआरडी द्वारा जारी दिशानिर्देश केवल आईआईटी और एनआईटी पर लागू है।

एआईसीटीई द्वारा यथा अधिदेशित/ट्यूशन शुल्क माफी योजना निफ्टेम और आईआईएफपीटी पर लागू होने के संबंध में समिति के प्रश्न पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

एआईसीटीई की शिक्षा शुल्क छूट स्कीम महिलाओं तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए तकनीकी संस्थानों में पाठ्यक्रम हेतु कुल प्रवेश के 5% तक के लिए शिक्षा शुल्क छूट उपलब्ध कराती है। अनुपालन हेतु निफ्टेम और आईआईएफपीटी की क्रमश: एआईसीटीई तथा टीएनएयू निगरानी करते हैं। मंत्रालय, एआईसीटीई के विनियमों के अनुपालन के लिए एडवाइजरी जारी करेगा।

जरूरतमंद विद्यार्थियों/वित्तीय रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

जब निफ्टेम/आईआईएफपीटी द्वारा जरूरतमंद छात्रों/वित्तीय रूप से कमजोर छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति का ब्यौरा पूछा गया तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

जी हां, **निफ्टेम** द्वारा उपलब्ध कराई गई छात्रवृत्ति का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपए)

वर्ष	संवितरित की गई फेलोशिप की राशि
2014-15	13.00
2015-16	19.00
2016-17	20.00
2017-18	36.00
2018-19	26.00
2019-20	12.00

उपर्युक्त के अलावा निफ्टेम, गैर-नेट क्वालिफाइड पीएचडी अध्येताओं को निफ्टेम फेलोशिप देता है।

(लाख रुपए)

वर्ष	संवितरित की गई फेलोशिप की राशि
2014-15	28.00
2015-16	53.00
2016-17	68.00
2017-18	102.00
2018-19	67.00
2019-20 (06.11.19 तक)	25.00

- एमटेक के छात्रों को गेट क्वालिफाइड स्कॉलरशीप्स एआईसीटीई द्वारा दी जाती है ।
- पीएचडी अध्येताओं को नेट क्वालिफाइड स्कॉलरशीप्स यूजीसी एवं अन्य के द्वारा दी जाती है ।

आईआईएफपीटी द्वारा दी गई छात्रवृत्ति का ब्यौरा निम्नवत है:

आईआईएफपीटी छात्रों को योग्यता-सह-साधन छात्रवृतियां उनके अभिभावकों की आय के आधार पर प्रदान करता है । इसके अलावा आईआईएफपीटी यूजी, पीजी तथा पीएचडी छात्रों के लिए इंस्टिट्यूट फ्री स्टूडेंटशीप भी उपलब्ध कराता है । संवितरित की गई छात्रवृति का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए)

क्र.सं.	आईआईएफपीटी	संवितरित की गई स्कॉलरशिप की राशि
1.	2014-15	3.90
2.	2015-16	3.90
3.	2016-17	3.90
4.	2017-18	3.90
5.	2018-19	3.90
6.	2019-20 (31.10.2019 तक)	1.90

उपर्युक्त के अलावा

क. एमटेक के छात्रों के प्रत्येक बैच से ऊपर के पांच छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10,000 रुपए प्रति माह की दर से खाप्रउमं छात्रवृत्ति

ख. एमटेक के छात्रों के प्रत्येक बैच से ऊपर के तीन गेट क्वालिफाइड छात्रों को उनके नियमित अध्ययन अवधि के दौरान 10,000 रुपए प्रति माह की दर से आईआईएफपीटी छात्रवृत्ति

ग. पीएचडी के छात्रों के प्रत्येक बैच से ऊपर के पांच छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 15,000 रुपए प्रति माह की दर से खाप्रउमं छात्रवृत्ति

(लाख रुपए)

क्र.सं.	आईआईएफपीटी	संवितरित की गई स्कॉलरशिप की राशि
1.	2014-15	34.00
2.	2015-16	26.00
3.	2016-17	45.00
4.	2017-18	26.00
5.	2018-19	38.00
6.	2019-20	39.00

उपयुक्त मुद्दे पर आईआईएमपीटी, तंजावुर के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया :-

"...वास्तव में, इसके लिए उन्हें दाखिले के समय शुल्क में शुल्क देना पड़ता है। उसके बाद, दो महीनों के पश्चात वे संबंधित राज्य से छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे। दूसरे सत्र के बाद से हम विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लेते हैं। यह स्वतः ही राज्य सरकार से प्राप्त हो जाती है।..."

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाने के मुद्दे पर साक्षात्कार के दौरान मिजोरम, कुंडली के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया :-

आमतौर पर हम डिग्री के प्रत्येक वर्ष, जिसमें 4 साल की बी.टेक, 2 साल की एम.टेक आदि सम्मिलित है के लिए समग्रता छात्रवृत्ति दी जाती है। पीएच.डी. के लिए हम फैलोशिप दे रहे हैं। छोत्रे बाहर से जिसी

प्रकार की फैलोशिप नहीं मिल रही है हम उन्हें लगभग 20000 रुपये से 25000 रुपये देते हैं। अतः वहाँ इस प्रकार से काम हो रहा है। हम तो उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क को समायोजित करने की कोशिश करते हैं और उन्हें सहायता देने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा अति वृहद तरीके से कर रहे हैं।

उपर्युक्त मुद्दे पर आईआईएफटी, तंजावुर के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया :-

वास्तव में इसके लिए उन्हें दाखिले के समय शुरुआत में शुल्क देना पड़ता है। इसके बाद, दो महीनों के पश्चात् वे संबंधित राज्य से छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे। दूसरे सत्र के बाद से हम विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लेते हैं। यह स्वतः ही राज्य सरकार से प्राप्त हो जाती है।..."

छात्रवृत्ति कोष के साधनों का ब्यौरा देने जाने पर लिफ्टमैन, कुंडली के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया :-

छात्रवृत्ति कोष मंत्रालय और दूसरा शुल्क दोनों से ही प्राप्त होता है। अतः 3 सेक्टर द्वारा हम एक कॉर्पस बनाते हैं और छात्रवृत्ति देते हैं। मैं यहाँ पुनः यह बताना चाहूँगा कि इस कॉर्पस के अतिरिक्त हम कॉर्पोरेट से भी कुछ राशि एकत्रित करते हैं। हमने छात्रवृत्ति देने के लिए एक कॉर्पस बनाया है। हम एक छोटी सी संस्थान के रूप में प्रति वर्ष पात्र छात्रों को लगभग 30 छात्रवृत्तियाँ देते हैं जिससे कि उनपर अतिरिक्त भार न पड़े। कैंपस में हमारी स्टेट बैंक की एक शाखा है और जो अपनी सैलरी से मिलने वाली राशि से अपनी व्यवस्था नहीं चला पाते वे उस शाखा से जोन लेते हैं। हम इसको बड़े पैमाने पर संचालन कर रहे हैं और कोई भी पैसे धनराशि संबंधी कुछ भी शिकायत नहीं कर रहा है।

1.60. छात्रवृत्ति कोष के स्रोतों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। ट्यूशन शुल्क, बजटीय अनुदान और कॉर्पोरेट प्रायोजन और छात्रों को भुगतान की गई छात्रवृत्ति की वास्तविक राशि, मंत्रालय ने प्रस्तुत की: -

निफ्टेम

(लाख में रुपया)

वर्ष	छात्र शुल्क	राजस्व अनुदान	कॉर्पोरेट फंड	कुल	छात्रवृत्ति%	%
2014-15	708	1792	10	2510	100	3.98
2015-16	1015	2000	76	3091	90	2.91
2016-17	1301	1800	0	3101	121	3.90
2017-18	1541	2100	04	3645	174	4.77
2018-19	1815	1975	0	3790	136	3.59

आईआईएफपीटी

(लाख में रुपया)

वर्ष	छात्र शुल्क	राजस्व अनुदान	कॉर्पोरेट फंड	कुल	छात्रवृत्ति%	%
2014-15	167	826	01	994	37.9	3.81
2015-16	171	467	13	651	29.9	4.59
2016-17	242	594	12	848	48.9	5.77
2017-18	318	1236	06	1560	29.9	1.92
2018-19	385	1420	03	1808	41.9	2.32

जब ट्यूशन शुल्क, बजटीय अनुदान और कॉर्पोरेट स्पोन्सरशिप जैसे छात्रवृत्ति कोष के साधनों का और विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति की वास्तविक राशि का ब्यौरा पूछा गया तो

(लाख में रुपया)

वर्ष	राशि
2014-15	00.00
2015-16	00.00
2016-17	23.36
2017-18	43.47
2018-19	61.89

निफ्टेम के प्रतिनिधियों ने निम्नवत बताया :-

"... विनीय रूप से कमजोर वर्ग के लिए हमारे पास एक मेरिट - कम - मीन्स छात्रवृत्ति है। जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है हम उनको हमारे द्वारा सृजित कॉपियों से 30000 - 35000 रुपये प्रतिवर्ष देकर सहायता प्रदान करते हैं। धनराशि इम्पोर्ट शुल्क से

और दूसरे मंत्रालय के राजस्व अनुदान से प्राप्त होती है। हम इसे मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम विद्यार्थियों को विदेश भेजने का हमारा एक प्रावधान है। अतः सभी योग्य छात्रों को निफ्टेम के खर्चे पर विदेश भेजा जाता है और हम उसके लिए किसी प्रकार शुल्क नहीं लगाते। हम वास्तव में हम तो एमबीए. प्रोग्राम की पूरी फीस को भेजते हैं।

उन्हें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैण्ड जैसे विभिन्न देशों में भेजा जाता है और हम सभी का ध्यान रखते हैं। क्रमशः वास्तव में, लागत शुल्क संरचना में ही शामिल है। इसी कारण यह थोड़ी अधिक लगती है, लेकिन मुझे कहना होगा कि यह एक स्टेट-ऑफ-आर्ट विश्वविद्यालय जैसा संस्थान है जिसमें सब कुछ विश्व-स्तर का है और सभी कक्षाकक्ष, व्याख्यान सभागार वातानुकूलित हैं। पुस्तकालय पूर्णतः वातानुकूलित है और यह खूबसूरत डिजीटल स्टेट-ऑफ-आर्ट सुविधाओं से सुसज्जित है। इसी कारण से हम इसके संचालन में प्रति माह 1-1.25 करोड़ रुपये खर्च करते हैं और मुझे मंत्रालय से 20-22 करोड़ रुपये मिलते हैं। हमें सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है और इसलिए इसकी शुल्क संरचना थोड़ी अधिक है लेकिन यह आईआईएम और आईआईटी की तुलना में ज्यादा अधिक नहीं है। यह मैं हमेशा आश्वासन दे सकता हूँ।

यद्यपि, जब छात्रवृत्ति के घटक-वार साधनों का ब्यौरा देने के लिए समिति द्वारा हस्तक्षेप और निदेश दिया गया तो निकटतम के प्रतिनिधियों ने निम्नवत बताया :-

एमबीए, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं तो इसके लिए सीएटी फैलोशिप और एमएटी फैलोशिप है। वे ये फैलोशिप भी लेते हैं। 50% विद्यार्थी फैलोशिप लेते हैं और शेष जो एमबीए करना चाहते हैं वे आते हैं। असलिल एमबीए का कोई मुद्दा नहीं है और हम इसे प्रोस्पेक्टस में स्पष्ट करते हैं कि वे उन्हें सभी चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और मुख्य संरचना यह इसकी है। यह पहले ही बता दिया जाता है और इसी कारण से हमें अच्छे विद्यार्थी भी मिलते हैं। यह तो पहली बात है। दूसरे, कॉर्पस के संबंध यह बात है कि यह हमारे द्वारा दी जाने वाली ~~फैलोशिप~~ कुल फैलोशिप का लगभग 15 प्रतिशत से प्राप्त होता है और

मंत्रालय से लगभग 30 प्रतिशत मिलता है और शेष 50-55 प्रतिशत ट्यूशन शुल्क से प्राप्त होता है। ऐसा इस प्रकार किया जाता है। हम इन सभी जरूरतों का ~~ख्याल~~ ध्यान रखते हैं।...

इस मुद्दे पर आगे की जानकारी देते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया :-

"... महोदय, उन्हें 'आइलनआई' बनाने के लिए आवश्यक है कि वे अपना मानक बनाएँ। वे विश्व स्तर के संस्थान बनें। वास्तव में, मैं अभी एक नए पाठ्यक्रम की शुरुआत का एक उदाहरण दे रहा था। वर्तमान प्रणाली एक अत्यंत लंबी चौड़ी प्रणाली है जिसमें यह जरूरी है कि विद्यार्थी को एक नया पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए चाहे वो एक विदेशी विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू के हिस्से के रूप में विदेश जाना चाहता है, वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है। अतः, यह विचार एक तरह से उन्हें मौजूदा नियामक व्यवस्था की अत्यधिक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से स्वायत्त बनाने को

है। यह यूजीसी, एक्जाईडसीटी अथवा आईआईएफमीटी हो सकता है। यदि उद्देश्य यह है और पिछली बार स्थायी समिति की यही सिफारिश थी कि वर्तमान नियामक व्यवस्था से खाद्य ~~प्रसंस्करण~~ प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के इन केंद्रों को आप देखें, उन्हें स्वायत्त बनाए जिससे वे विश्व मानक को प्राप्त कर सके। वास्तव में आज - बेलिंगन विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो खाद्य प्रौद्योगिकी में सर्वोत्तम में से एक है, यूजीसी के आवश्यक विनियमों के कारण समझौता ज्ञापनों को लागू करने में असक्षम है। अर्थात वे आपना कार्य कर रहे हैं। उन्हें अनुमति देनी होती है लेकिन ये दोनों बातें कैसी न कैसी रूप में एक-दूसरे से भिन्न हैं। वे वैश्विक संस्थान बनने में सक्षम नहीं है। सभापति मुझसे ~~क~~ वैश्विक संस्थान बनने के लिए उनके अधिदेश के बारे में पूछ

रहे थे। लेकिन अब भी वे कुछ नियमों हमारी नियामक प्रणाली के कुछ नियमों और शर्तों से निराश हैं। अतः आज हमें बताने दीजिए कि वे अपने प्रबंधन पाठ्यक्रम के लिए आईआईएम से कम-से-कम 20 लाख रुपये के प्रभार के लिए कह रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे 'आईएनआई' नहीं हैं, वे उस समय के एआईईसीटी की शर्तों के अधीन नहीं आते हैं। वे अपनी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकते हैं और स्व-वित्तपोषण कर सकते हैं और शिक्षा को वैश्विक मानक दे सकते हैं, पाठ्यक्रमों को अनुकूलित और प्लेसमेंट भी दे सकते हैं जो समान रूप से अच्छा है। अतः इसके कहीं-कहीं विरोधाभास है। यदि आप कहते हैं कि यदि आप एआईईसीटी के मानदंडों और शुल्क संरचना का पालन करते हैं तो आप उन्हें पुनः निराश कर रहे हैं और उन्हें 'आईएनआई' नहीं बना रहे हैं।

हालांकि साक्ष्यों के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत स्पष्ट किया:-

"...महोदय, मैं सहमत हूँ। सरकार द्वारा विभिन्न रूप से पिछड़े वर्ग, अजा, अजजा, पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी प्रावधान

बनाया गया है उसे आईएसआई द्वारा संगृहीत करना होगा।

निफ्टेम के केंद्र

खंड 12(2)(ङ) संस्थानों को देश के भीतर खाद्य प्रसंस्करण अध्ययन और संबद्ध विषय क्षेत्र केन्द्र, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् स्थापित करने के लक्षीलेपन का उपबंध करता है। जब देश के विभिन्न हिस्सों में निफ्टेम के केंद्र स्थापित करने हेतु मंत्रालय द्वारा किए मूल्यांकन के बारे में पूछा गया तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

मंत्रालय ने अब तक कोई मूल्यांकन नहीं किया है। चूंकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कुशल मानव शक्ति की कमी का सामना करता है इसलिए देश में और अधिक निफ्टेम केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

सरकार को निफ्टेम के केंद्रों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों / उद्योग प्रतिनिधि निकायों से प्राप्त हुए अनुरोध के बारे में सांसदों द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

जी हां, राज्य सरकारों से उनके संबंधित राज्यों/क्षेत्रों में निफ्टेम तथा आईआईएफपीटी के केंद्र स्थापित करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं । इस मंत्रालय में प्राप्त हुए अनुरोध का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	राज्य	के लिए अनुरोध किया गया है
1.	श्री नवीन पटनायक, मुख्य मंत्री	ओडिशा	निफ्टेम की स्थापना
2.	श्री शरद त्रिपाठी, संसद सदस्य-लोक सभा	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर, यूपी में निफ्टेम के कौशल विकास केंद्र की स्थापना
3.	श्रीमती मेनका संजय गांधी, महिला एवं बाल विकास मंत्री	-	या तो आईआईएफपीटी अथवा निफ्टेम में पौध आधारित खाद्य प्रौद्योगिकियों पर फोकस करते हुए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
4.	डॉ. कम्भापति हरिबाबू, संसद सदस्य-लोक सभा	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम में आईआईएफपीटी के केंद्र की स्थापना
5.	श्री एस. मुनिस्वामी, संसद सदस्य- लोक सभा	कर्नाटक	कोलार में आईआईएफपीटी के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना
6.	श्री चंद्र मोहन पटोवारी, परिवहन, वाणिज्य एवं उद्योग, संसदीय कार्य मंत्री	असम	असम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान (सीएफपीआरआई) की स्थापना

सदनों के दौरान इस मुद्दे पर और विस्तार करते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधि ने ~~को~~ मामले बताया:

"... मंत्रालय इससे पूर्व के दो अधिवेशन में क्या प्रस्ताव कर रहे हैं तो इसका उत्तर यह है कि हमने इन दोनों संस्थानों को उन स्थानों पर केंद्र खोलने की अनुमति दी है ~~जहाँ~~ जहाँ इसकी मांग है। अतः हमें उम्मीद है कि यदि राज्य सरकार निफ्टेम अथवा आईआईएफपीटी

का केंद्र खोलना चाहती है तो उसके लिए
कम से कम भूमि तो उपलब्ध करवानी होगी।
जैसे आंध्र सरकार भूमि का कुछ हिस्सा
दे रही है। कुछ अन्य राज्य भी हैं।
तभी वे एक केंद्र खोल सकते हैं।
हम उन्हें स्वायत्त बनाना चाहते हैं। केंद्रीय
सरकार का कम पैसा लगेगा। अतः
हमारी उम्मीद है कि कुछ राज्य केंद्र खोलने
के लिए प्रोत्साहन देंगे।

निफ्टेम बिल की खंड-वार व्याख्या

निफ्टेम बिल की खंड-वार व्याख्या

खंड 1- यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 2- यह खंड कतिपय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्ता की संस्थाएं घोषित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 3- यह खंड प्रस्तावित विधान में विभिन्न पदों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए है ।

खंड 4- यह खंड संस्थानों के निगमन का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 5- यह खंड संस्थानों के निगमन के प्रभाव जैसे किसी विद्यमान संस्थान के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तत्स्थानी संस्थान के प्रति निर्देश है, किसी विद्यमान संस्थान की सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां तत्समान संस्थान में निहित हो जाएंगी, किसी विद्यमान संस्थान के सभी अधिकार और दायित्व, तत्स्थानी संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 6- यह खंड संस्थानों की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि कोई संस्थान किसी भी रीति में किसी स्थावर संपत्ति का निपटान केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा ।

खंड 7 – यह खंड संस्थान के सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होने का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि किसी संस्थान द्वारा संपत्ति की कोई वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान में शैक्षणिक पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश पारदर्शी और तर्कसंगत मानदंड के माध्यम से निर्धारित वरीयता के आधार पर होगा ।

खंड 8- यह खंड संस्थान के अलाभकारी विधिक सत्ता होने को उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान स्निर्भरता और भरणीयता के लिए निधियों के लिए निधियां एकत्रित करने का प्रयास करेगा ।

खंड 9- यह खंड संस्थान में बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार शिक्षण का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 10- यह खंड संस्थान के प्राधिकारियों अर्थात शासी बोर्ड, सीनेट और ऐसे अन्य प्राधिकारियों, जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किए जाएं, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 11- यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक संस्थान का शासी बोर्ड उस संस्थान का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा । यह खंड शासी बोर्ड की संरचना का और उपबंध के लिए है । यह खंड शासी बोर्ड की संरचना का और उपबंध करने के लिए है ।

खंड 12- यह खंड बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड संस्थान के कार्यों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा । यह खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड संस्थान के उद्देश्यों की उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में निदेशक के कार्य निष्पादन का वार्षिक पुनर्विलोकन संचालित करेगा ।

खंड 13- यह खंड बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियों और उन्हें संदेय भत्तों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 14- यह खंड अध्यक्ष या सदस्यों की आकस्मिक रिक्ति को ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर भरे जाने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 15- यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि अध्यक्ष या सदस्य लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा ।

खंड 16- यह खंड सीनेट के संस्थान का प्रधान शैक्षणिक निकाय होने का उपबंध करने के लिए है, जो निदेशक के रूप में अध्यक्ष और अन्य विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

खंड 17- यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि सीनेट के पास संस्थान का नियंत्रण और साधारण विनियमन होगा तथा वह संस्थान में अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी । यह खंड यह और उपबंध करता है कि सीनेट ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग करेगी और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगी, जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या सौंपे जाएं ।

खंड 18- यह खंड अध्यक्ष की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है यह खंड यह और उपबंध करता है कि अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जाए।

खंड 19- यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी । यह खंड यह और उपबंध करता है कि निदेशक संस्थान का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा तथा वह संस्थान के समुचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि निदेशक बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रस्तुत करेगा ।

खंड 20- यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक संस्थान का रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाएगा और वह संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और संपत्तियों का अभिरक्षक होगा । यह खंड यह और उपबंध करता है कि रजिस्ट्रार बोर्ड, सीनेट और ऐसी समितियों, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के सचिव के रूप में कार्य करेगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि रजिस्ट्रार निदेश के प्रति उत्तरदायी होगा ।

खंड 21- यह खंड अन्य प्राधिकारियों और अधिकारियों जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 22- यह खंड यथास्थिति, बोर्ड और निदेशकों द्वारा कर्मचारीवृंद की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 23- यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि परिनियम मानद उपाधियों, शिक्षण विभागों की विरचना, अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा नियुक्ति के ढंग का उपबंध कर सकेंगे ।

खंड 24- यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रथम परिनियम की विरचना परिषद द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से की जाएगी और उसकी एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी । यह खंड यह और उपबंध करता है कि बोर्ड केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा ।

खंड 25- यह खंड संस्थान के अध्यादेशों के लिए उपबंध करता है, जो छात्रों के प्रवेश, अध्ययन पाठ्यक्रम, अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने की शर्तों, परीक्षा का संचालन, छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने आदि जैसे विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे ।

खंड 26- यह खड यह उपबंध करता है कि अध्यादेश सीनेट द्वारा बनाए जाएंगे । यह खंड यह और उपबंध करता है कि बोर्ड के पास संकल्प द्वारा किसी अध्यादेश को उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी ।

खंड 27- यह खंड माध्यस्थम अधिकरण के लिए उपबंध करता है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि माध्यस्थम अधिकरण के पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

खंड 28- यह खंड परिषद की स्थापना के लिए उपबंध करता है । यह खंड परिषद की संरचना के संबंध में आगे और उपबंध करता है ।

खंड 29- यह खंड परिषद के सदस्यों की पदावधि, उनके बीच रिक्तियों और उन्हें संदेय भत्तों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 30- यह खंड परिषद के कृत्यों के लिए उपबंध करता है, अर्थात संस्थानों के सभी क्रियाकलापों का समन्वय करना और संस्थान के कार्यपालन में अभिवृद्धि करने के विचार से अनुभवों, विचारों और चिंताओं को साझा करने को सुकर बनाना ।

खंड 31- यह खंड परिषद की बैठकों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 32- यह खंड संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक विनियोग किए जाने के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 33- यह खंड संस्थान द्वारा निधियों को बनाए रखने के लिए उपबंध करता है, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी धनों, प्राप्त हुई सभी फीसों और अन्य प्रभारों और संस्थान द्वारा प्राप्त किसी अन्य धन को जमा किया जाएगा और जिसका उपयोग संस्थान के व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा ।

खंड 34- यह खंड समुचित लेखा बनाए रखने और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी संपरीक्षा किए जाने का उपबंध करता है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित प्रत्येक संस्थान के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 35- यह खंड संस्थान द्वारा उसके कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों के गठन के लिए उपबंध करता है ।

खंड 36- यह खंड यह उपबंध करता है कि कार्रवाइयां और प्रक्रिया रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी ।

खंड 37- यह खंड सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण के लिए उपबंध करता है ।

खंड 38- यह खंड केंद्रीय सरकार की नियम आदि बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 39- यह खंड नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन के लिए और संसद के समक्ष रखे जाने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 40- यह खंड यह उपबंध करता है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के

उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो । यह खंड यह और उपबंध करता है कि ऐसा कोई आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 41- यह खंड ऐसे संक्रमणकालीन उपबंधों के लिए उपबंध करता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व कार्यरत संस्थान का शासी बोर्ड तब तक कार्य करना जारी रखेगा जब तक इस अधिनियम के अधीन संस्थान के नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व प्रवृत थे, संबंधित संस्थान के लिए वहां तक लागू होते रहेंगे जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।

शासी बोर्ड

विधेयक के खंड 11(2)(क) में

खाद्य, उद्योग या शिक्षा या आहार विज्ञान या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या प्रबंधन या लोक प्रशासन के क्षेत्र में या ऐसे ही अन्य क्षेत्र में ख्याति प्राप्त विख्यात व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष होगा (विधेयक)

लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति को निफ्टेम के चेयरपरसन के रूप में नियुक्त करने के मानदंड को शामिल करने के औचित्य के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया :-

विधेयक में खाद्य उद्योग या शिक्षा या खाद्य विज्ञान या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या प्रबंधन या लोक प्रशासन या ऐसे अन्य क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों में से चेयरपर्शन की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है ।

लोक प्रशासन से जुड़े व्यक्ति को सरकारी कार्य प्रणाली का विस्तृत अनुभव होता है और वह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न नीतियों से भली-भांति परिचित हो सकता है ।

राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम या एनआईटी के अधिनियमों में चेयरपरसन के रूप में नियुक्ति के लिए प्रश्नगत संबंधी समिति के प्रश्न के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया: -

आईआईटी, आईआईएम एवं एनआईटी के अधिनियमों में दिए गए मानदंड निम्नानुसार हैं: -

संस्थान प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961	भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007
चेयरमैन का नामांकन विजिटर द्वारा किया जाएगा; (भारत के राष्ट्रपति विजिटर होंगे)	उद्योग या शिक्षा या विज्ञान या प्रौद्योगिकी या प्रबंधन या लोक प्रशासन या ऐसे अन्य क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियो में से चेयरपर्शन की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी।	चेयरमैन का नामांकन विजिटर द्वारा किया जाएगा; (भारत के राष्ट्रपति विजिटर होंगे)

सरकार की संपूर्ण कार्य प्रणाली का अनुभव रखने वाला लोक प्रशासन का व्यक्ति उस संस्थान का प्रबंधन कैसे करेगा जिसे खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान करने की आवश्यकता है? संबंधी समिति के प्रश्न के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया: -

लोक प्रशासन से संबंधित व्यक्ति के पास भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित नीतियों, क्षमता तथा चुनौतियों से संबंधित अनुभव, जानकारी तथा आंतरिक ज्ञान हो सकता है।

शैक्षणिक योग्यता, पूर्व अनुभव इत्यादि का ब्यौरा प्रस्तुत करने निफ्टेम के पहले उप-कुलपति की के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया: -

डॉ. अजीत कुमार, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) निफ्टेम के पहले उप-कुलपति/निदेशक थे। उन्हें दिनांक 01.05.2012 से नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था। डॉ. कुमार ने पटना विश्वविद्यालय, बिहार से एम.एससी. (भौतिकी) किया था। जहां तक उनके पूर्व अनुभव का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि वे निफ्टेम में उप-कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के समय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे।

जब पैनल बोर्ड की नियुक्ति में राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा भारत सरकार सचिव की भूमिका के बारे में पूछा गया:

"सर, उद्देश्य यही था कि जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स के चेयरमैन या कोई इंडस्ट्री के बड़े टॉल आइकॉन होंगे। फिर भी हम इसको रीएग्जामिन कर देंगे कि यदि ऐसा शब्द आईआईटी एक्ट में

नहीं हैं तो we can recconsider it. नेशनल इम्पोर्टेन्स के जो भी एक्ट्स हैंए उसके आधार पर ही यह बना है। अगर ये शब्द उन एक्ट्स में नहीं है तो हम इसे रिव्यू कर सकते हैं।''

2.7. बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की नियुक्ति में राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय या किसी भी प्रासंगिक मंत्रालय की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर:

"मानव संसाधन विकास मंत्रालय या प्रासंगिक मंत्रालय की भूमिका आईएनआई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए नामांकन करने के लिए शिक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विज्ञान आदि के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पहचान में महत्वपूर्ण है। निम्न तालिका इस संबंध में आईआईटी, आईआईएम और एम्स के आईएनआई अधिनियमों में प्रासंगिक प्रावधानों को इंगित करती है

आईआईटी	आईआईएम	एम्स
प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, के अनुसार (क) 11- की धारा 1961 बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामांकन संस्थान के) के लिए राष्ट्रपति के लिए (आगंतुक होने के लिएनाम की सिफारिश करना।	धारा के अनुसार बोर्ड में (ख) 10- एक सदस्य को नामांकित करना संस्थान भारतीय प्रबंधन अधिनियम, 2017,	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की धारा (डी) 4-, (ई (एफ) और (और (1) 7- के अनुसार धारा संस्थान के ग्यारह सदस्यों के अनुसार संस्थान केअध्यक्ष को मनोनीत करना विज्ञान (एम्स) अधिनियम, ।1956 अध्यक्ष एम्स अधिनियम की धारा - में संस्थान के के संदर्भ (3) 10 शासी निकाय के अध्यक्ष हैं, जबकि शासी निकाय के सदस्यों को संस्थान के सदस्यों द्वारा स्वयं को धारा - के संदर्भ में चुना जाता है (1) 10 एम्स अधिनियम और एम्स अधिनियम 5- की धारा 1999।

लाभ के दौरान शासी बोर्ड में संसद सदस्यों को शामिल करने संबंधी समिति
के प्रश्न के संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत् बताया —

"

परिषद्

2.9 **खण्ड 28 को केंद्रीय निकाय की स्थापना के लिए परिषद कहा जाता है। राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों (INI) में परिषद के प्रावधान के बारे में समिति के प्रश्न पर, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया: -**

"हाँ, परिषद या समकक्ष प्राधिकरण के लिए प्रावधान अन्य आईएनआई में मौजूद है। विवरण निम्नानुसार हैं:

आईएनआई	**प्राधिकरण**	**भूमिका और कार्य**
आईआईटी	**परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी - एक्ट, 31- की धारा 1961के अनुसार,**	**उक्त एक्ट की धारा में शामिल सभी 33 संस्थानों की गतिविधियों और अन्य कार्यों को समेटने के लिए।**
एनआईटी	**परिषद - राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 30- की धारा 2007के अनुसार**	**सभी संस्थानों की गतिविधियों और अन्य कार्यों के समन्वय के लिए, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा में गणना की गई है। 32**
आईआईआईटी	**समन्वय मंच - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पब्लिक प्राइवेट) अधिनियम (पार्टनरशिप, की 2017 38- धाराके अनुसार**	**, सभी संस्थानों के प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुभव, विचारों और चिंताओं को साझा करने के लिए और अन्य कार्यों के रूप में उक्त अधिनियम की धारा में। 40**
आईआईएम	**समन्वय मंचभारतीय प्रबंधन - संस्थान अधिनियम, की धारा 2017 29-के अनुसार,**	**सभी संस्थानों और अन्य कार्यों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विचारों, विचारों और चिंताओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, जैसा कि उक्त समाचार की धारा में शामिल 30 है ।**

जैसा कि निफ्टेम बिल, 2019 के खण्ड-10 में दिया गया है, बिल के खण्ड-16 में दी गई संरचना के साथ, निफ्टेम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक संस्थानों का अपना अलग सीनेट होगा ।

प्रत्यायोजित विधान का विस्तार

विधेयक के प्रत्यायोजित विधान से संबंधित खंड 23, 24(1-3) बोर्ड को समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकने या परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकने की शक्ति प्रदान करता है। विधेयक में उपलब्ध कराए गए प्रत्यायोजित विधान के विस्तार और संवैधानिक प्रावधानों के बारे में समिति के प्रश्न पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया :-

अधिनियम में दिए गए प्रत्यायोजित विधान की व्यापकता प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961; राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007; और भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 के उपबंधों के समान संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप है । इसके अलावा, विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधिकार्य विभाग (डीएलए) एवं विधायी विभाग) ने विधिक एवं संवैधानिक दृष्टिकोण से सहमति सूचित की है ।

खंड 24 (1) यह उपबंध करता है कि)

"प्रत्येक संस्थान के प्रथम परिनियम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे और उनकी एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष इनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रखी जाएगी । हालांकि, खंड 24 (2) बोर्ड

को समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकने की शक्ति प्रदान करता है। जब संसद में विधेयक के तहत परिनियमों के अन्य संशोधनों को प्रस्तुत न करने के बारे में पूछा तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

विधेयक का खंड - 24 (1) निम्नवत उपबंध करता है:-

"(1) प्रत्येक संस्थान के प्रथम परिनियम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे और उनकी एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष इनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रखी जाएगी।"

विधेयक का खंड - 24 (3) निम्नवत उपबंध करता है:-

"(3) प्रत्येक नए परिनियम के लिए या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियम के किसी संशोधन या निरसन के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उसका अनुमोदन कर सकेगी या उसे बोर्ड के विचारणा के लिए भेज सकेगी।"

विधेयक का खंड - 24 (5) निम्नवत उपबंध करता है:-

"(5) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक केन्द्रीय सरकार उसका अनुमोदन नहीं कर देती।"

यह विधेयक प्रत्यायोजित विधान के अनुसार परिनियमों को संशोधित करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व - अनुमोदन के लिए उपबंध करता है। प्रत्यायोजित विधान में प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी

संस्थान (पब्लिक - प्राइवेट भागीदारी) अधिनियम, 2017 आदि में परिवर्तनों के संशोधन हेतु भी उपबंध है।

मध्यस्थम अधिकरण

विधेयक का खंड 27 कर्मचारियों और संस्था के मध्य विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थम अधिकरण का उपबंध करता है। मध्यस्थम अधिनियम, 1996 के साथ इन प्रावधानों और उनके बाद के संशोधनों के बारे में समिति के उन पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

प्रस्तावित प्रावधान मध्यस्थम अधिनियम 1996 में समाविष्ट हैं और ये वैज्ञानिकी अधिनियम, 1961, राष्ट्रीय वैज्ञानिकी संस्थान अधिनियम, 2007 और भारतीय सूचना वैज्ञानिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट साझेदारी) अधिनियम, 2017 में समाविष्ट प्रावधानों जैसे ही हैं।

हालांकि, विधेयक के खंड 27 (5), जो मध्यस्थम से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में कोई बात इस धारा के अधीन मध्यस्थमों को लागू नहीं होगी या उपबंध करता है, की समीक्षा से ज्ञात होता है कि यह माध्यस्थम अधिनियम, 1996 और इसके बाद के संशोधनों के विपरीत है। जब मंत्रालय के उल्लिखित उत्तरों में अस्पष्टता और विधेयक के खंड 27 (5) का विवरण पूछा गया तब मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

माध्यस्थम् अधिकरण पर विधेयक का खंड - 27, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक - प्राईवेट साझेदारी) अधिनियम, 2017 जैसे अन्य आई एन आई के

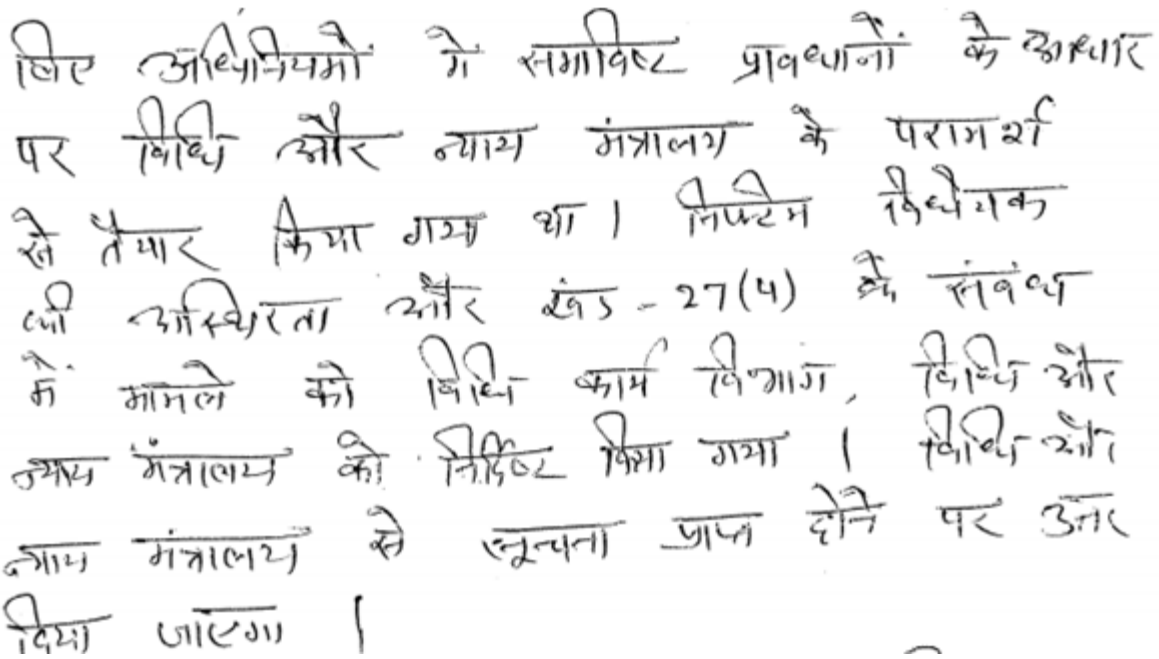

2.16. कानून और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय) ने अपनी राय में प्रस्तुत किया है: -

"पंचाट और सुलह अधिनियम के प्रावधान भाग- I में कुछ विदेशी पुरस्कार, भाग- III सुलह और भाग- IV पूरक प्रावधानों के मध्यस्थता भाग- II प्रवर्तन से संबंधित है। यह धारा 2 (3) और 2 (4) को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक है जो अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में कुछ प्रतिबंधों के बारे में प्रदान करता है। विशेष रूप से धारा 2 (3) में यह तर्क दिया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून को प्रभावित नहीं करेंगे जो मध्यस्थता के लिए विवाद प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसी तरह, धारा 2 (4) इस तथ्य का ध्यान रखती है कि अगर मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान अन्य अधिनियम के साथ असंगत हैं तो बाद में प्रबल होगा। ऊपर की पृष्ठभूमि में, निफ्टेम बिल की धारा 27 का प्रावधान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के साथ मौजूद हो सकता है। यह भी एक रिकॉर्ड की बात है कि निम्नलिखित प्रावधान पैरा-मीटरिया हैं: -

(i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 29।
(ii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैक्टेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2006 की धारा २ of।
(iii) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 की धारा 30।
(iv) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 35।

इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावित निफ्टेम विधेयक की धारा 27 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अनुरूप है। हालाँकि, उपर्युक्त पक्षपात के बिना, यह उल्लेख किया जा सकता है कि धारा 27 के आधार पर प्रस्तावित निफ्टेम बिल, संस्थान और उसके कर्मचारियों के बीच न्यायाधिकरण के पंचाट के माध्यम से होने वाले विवाद समाधान के लिए प्रदान करता है,

जिसका निर्णय अंतिम होगा और केवल अधिकार क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। संवैधानिक न्यायालयों की। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के विचार की आवश्यकता है कि क्या इस तरह का बहिष्करण नीति के मामले के रूप में जागरूक विकल्प है। "

विधेयक और माध्यस्थम् अधिनियम के प्रावधान से आश्वस्तता के संबंध में समिति द्वारा साक्ष्यों के दौरान पूछे जाने पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया :-

" अनुच्छेद 27 बताता है कि माध्यस्थम् संस्थान और इसके कर्मचारियों के मध्य विवादों के निपटान हेतु एक माध्यस्थम् अधिकरण बनाया जाएगा। अनुच्छेद 27(ii) बताता है कि माध्यस्थम अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और कोई भी मामला किसी न्यायालय में नहीं लाया जाएगा। आप

27 के उप-खंड (iv) का संदर्भ दे रहे थे।
"माध्यस्थम से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी विधि की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी।" मुझे लगता है A हमने जो उत्तर दिए हैं उसमें हमने इसका उल्लेख किया है। यह सभी आईएनआई अधिनियम आधिनियमों के तहत उपलब्ध प्रावधानों जैसा है। आईएनआई हेतु आईएनआई अधिनियम 2019 के जैसा ही है। अतः विधायी विभाग के परामर्श से हमने अन्य अधिनियमों में उपलब्ध प्रावधानों को सम्मिलित किया है। हम विधि विभाग से परामर्श लेंगे और उत्तर देंगे. यदि इसमें कोई अंतर्विरोध हुआ तो ...."

वित्तीय आपत्ति

विधेयक का वित्तीय आपत्ति उपबंध कहता है कि दोनों विद्यमान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित करने की कोई अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारी अन्तर्वलित नहीं है। जबकि, खंड 33(1) केंद्रीय सरकार द्वारा निधि के

एकमात्र संसाधन के रूप में दी गई धनराशि की गणना करता है। विधेयक की इन मदों में आस्थिरता के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

विधेयक की इन मदों में किसी प्रकार की आस्थिरता नहीं है। विधेयक का वित्तीय ~~~~ विद्यमान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं ~~~~ के रूप में घोषित करने में किसी नई वित्तीय विवक्षा को नहीं जाता है, का ~~~~ उपबंध करना है। उपरोक्त अनुच्छेद 33(1) उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि संस्थानों के वित्त पोषण के संस्थानों में से एक होगा।

मिशन की आत्मनिर्भरता और पोषणीयता

विधेयक का खंड 8(2) उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान अपनी आत्मनिर्भरता और पोषणीयता के लिए विधियां ढूंढने का प्रयास करेगा। यदि

निफ्टेम और आईआईएफपीटी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किए जाते हैं तो केंद्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता के संबंध में समिति के प्रश्न पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। हालांकि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित बजटीय सहायता को जारी रखा जाएगा।

भविष्य में संस्थान को वित्तीय रूप से सहायता देने के लिए सरकार के इरादे के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-
केंद्रीय सरकार भविष्य में संस्थान को वित्तीय सहायता जारी रखेगी।

2.21. भविष्य में संस्थान को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए सरकार के इरादे के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार भविष्य में वित्तीय रूप से संस्थानों का समर्थन करना जारी रखेगी।

बजटीय अनुदानों के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थानों को उपलब्ध कराई जा रही निधियों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक बजट अनुदान के रूप में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

विवरण	प्राप्त हुए बजट अनुदान				
वर्ष	कुल अनुदान	निफ्टेम	(%)	आईआईएफपीटी	(%)
2014-15	40.38	27.92	69.14	12.46	30.86
2015-16	34.67	29.78	85.89	04.89	14.11
2016-17	56.47	36.32	64.31	20.15	35.69
2017-18	56.58	36.00	63.62	20.58	36.38
2018-19	102.15	77.95	76.30	24.20	23.70
कुल	**290.25**	**207.97**	**71.65**	**82.28**	**28.35**

निफ्टेम और आईआईएफपीटी के लिए राजस्व के मौजूदा स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

संस्थानों के लिए राजस्व के मौजूदा स्रोत हैं:-

(करोड़ रुपए)

संस्थान	राजस्व के स्रोत				
	बजटीय सहायता	छात्रों से लिया गया शुल्क	उद्योगों से लिया गया परामर्शी शुल्क	सरकारी विभागों से ली गई अनुसंधान सहायता	अन्य स्रोत
निफ्टेम					
2014-15	27.92	07.08	0.01	2.13	6.92
2015-16	29.78	10.15	0.04	8.98	4.78
2016-17	36.32	13.01	0.00	0.42	3.61
2017-18	36.00	15.41	0.12	1.90	4.56
2018-19	77.95	18.15	0.03	0.77	5.11

आईआईएफपीटी					
2014-15	12.46	1.67	0.01	0.18	1.04
2015-16	04.89	1.71	0.13	0.16	1.07
2016-17	20.15	2.42	0.12	0.21	1.38
2017-18	20.58	3.18	0.06	0.25	1.68
2018-19	24.20	3.85	0.03	0.31	3.69

यह देखा जा सकता है कि अगली संस्थान होने के बावजूद भी दोनों संस्थान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से वित्तीय सहायता / परामर्शी परियोजनाएं प्राप्त करने में असफल रहे। सरकारी से अनुसंधान शुल्कों की संख्या भी अत्यधिक कम है। जब परामर्शी और अन्य संसाधनों से प्राप्त होने वाले उपार्जन का स्तर कम होने के कारण देखे गए तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

मौजूदा स्टाफ पर शिक्षण, निर्देशात्मक, अनुसंधान तथा आउटरीच कार्यकलापों का काफी बोझ है। दोनों संस्थान स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं जिसके कारण ये संस्थान और अधिक अनुसंधान/ परामर्शी परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम नहीं हो पा रहे है ।

भाग - दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

1. समिति नोट करती है कि निफटेम विधेयक, 2019 कुछ खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थानों नामत: राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफटेम), कुंडली, हरियाणा तथा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी), तंजावुर, तमिलनाडु को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन में अनुदेश और शोध की व्यवस्था करने और शिक्षा की अभिवृद्धि और ऐसी शाखाओं में ज्ञान के प्रचार-प्रसार और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के बारे में है। ये संस्थान वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

समिति को यह बताया गया है कि निफटेम और आईआईएफपीटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिए जाने से उन्हें शीर्ष दर्जा प्राप्त करने और देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अत्यंत कुशल कार्मिक तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाने में मदद करेगा। इसके माध्यम से मानक, शोध और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और क्षेत्रीय जरूरतों के आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन करने की लोचशीलता प्रदान करने, अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने तथा छात्रों को अपनी उपाधि प्रदान करने, आर एंड डी अनुदान आसानी से प्रदान करने, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवीन शोध कार्यकलाप शुरू करने, आकर्षक वेतन प्रदान करके शिक्षण स्टाफ के रूप में उपलब्ध बेहतर प्रतिभा की भर्ती करने और अकादमिक और शोध के क्षेत्र में विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

समिति यह भी नोट करती है कि सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 64 संसद को वैज्ञानिक अथवा तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने का प्रावधान करती है। समिति को यह बताया गया कि आज की स्थिति के अनुसार आईआईटी, आईआईएम, एम्स, आईआईआईटी आदि सहित देश में राष्ट्रीय महत्व के 130 संस्थान हैं। इस संबंध में समिति इस बात को स्मरण करती है कि अपने 57वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में आईआईटी की तर्ज पर अकादमिक और वृत्तिक कार्यकरण हेतु पर्याप्त स्वायत्तता के साथ निफटेम को सांविधिक आधार की जरूरत पर बल देते हुए समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार इस बारे में विधान लाए। समिति निफटेम विधेयक पुर:स्थापित

करने के सरकार के निर्णय के लिए उसकी सराहना करती है जो कि दोनों संस्थानों को अपने शिक्षण और शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु आवश्यक स्वायत्तता तथा लचीलापन प्रदान करेगा तथा विश्व में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में उभरने में मदद करेगा। समिति ने उत्तरवर्ती पैराओं में विधेयक के विभिन्न पहलुओं और निफटेम, कुंडली तथा आईआईपीएफटी, तंजावुर के कार्यकरण के बारे में चर्चा की है और अपनी टिप्पणियां/सिफारिशें दी हैं। समिति उम्मीद करती है कि ये निफटेम को अपने स्तर में सुधार करने और उसके कार्यकरण को पारदर्शी बनाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगी ।

<u>निफटेम को वैश्विक संस्थान बनाने की रूपरेखा</u>

2. समिति नोट करती है कि खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन के क्षेत्रों में मुख्य अकादमिक संस्थान बनाने के विजन के साथ वर्ष 2011 में निफटेम, कुंडली की स्थापना की गई थी। तथापि, समिति खेद के साथ नोट करती है कि संस्थान द्वारा वर्तमान में अपनाए गए मानक वैश्विक मानकों से कम हैं। समिति को यह बताया गया कि ऐसा संस्थान को वर्तमान में कार्यकरण तथा अकादमिक क्षेत्र में मिली सीमित स्वायत्तता, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर की कमी, सीमित जनशक्ति के कारण शोध के लिए समर्पित शिक्षकों की कमी आदि। समिति को यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के वर्तमान विनियामक दिशानिर्देश तेजी से बदल रहे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कक्षा अध्ययन के अलावा अकादमिक कार्यक्रमों को सघन प्रैक्टिकल प्रशिक्षण तथा अनुभव की जरूरत पड़ती है। समिति को यह बताया गया कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के दर्जे से वैश्विक मानकों को अपनाने की दिशा में प्रगति होगी। समिति की यह राय है कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता समर्पण के भाव और विजन के कारण होती है। हमारे देश के अनेक संस्थानों जैसे कि आईआईएम, एनआईटी आदि ने यूजीसी तथा एआईसीटीई के विनियामक ढांचे के भीतर और कम वेतन में कार्य करते हुए उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा दिए जाने से पहले ही वैश्विक स्तर पर अपनी साख बचायी है। यह उनके शिक्षण स्टाफ के समर्पण और नवाचारी कुशलता का परिणाम था जिससे वे अपने संबंधित क्षेत्र में वैश्विक मानक प्राप्त ही नहीं कर पाए अपितु उनका सृजन भी कर पाए। समिति आशा करती है कि निफटेम आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी आदि जैसे अपने समकक्ष संस्थानों से प्रेरणा लेगा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अद्यतन अनुसंधान और शिक्षण हेतु उत्कृष्टता और समर्पण की भावना पैदा करेगा।

समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर निफटेम को वैश्विक संस्थान बनाने हेतु भावी कार्यवाही की रूपरेखा प्रस्तुत करे।

<u>तकनीकी कोर्स के लिए शुल्क निर्धारित करने हेतु संविधियां</u>

3. समिति नोट करती है कि एआईसीटीई द्वारा गठित राष्ट्रीय शुल्क समिति पूर्णकालिक व्यावसायिक कोर्सों जैसे कि बी.टेक, एम.टेक, एमबीए आदि के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम शिक्षण तथा विकास शुल्क तय करने के बारे में है। समिति यह भी नोट करती है कि निफटेम, कुंडली व्यावसायिक कोर्सों के अनुमोदन के लिए एआईसीटीई के संगत नियमों द्वारा शासित है। तथापि समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि न तो निफटेम और न ही मंत्रालय को ऐसे दिशानिर्देशों की जानकारी है और पहली बार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विधानों/संविधियों के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत की है जो देश में विभिन्न अकादमिक / वृत्तिक /व्यावसायिक कोर्सों की शुल्क संरचना को निर्धारित करते हैं। निफटेम, कुंडली द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे विभिन्न कोर्सों की शुल्क संरचना तथा राष्ट्रीय शुल्क समिति द्वारा संस्तुत अधिकतम शिक्षण तथा विकास शुल्क की तुलनात्मक संवीक्षा करने पर समिति ने यह पाया है कि निफटेम, कुंडली चार वर्षीय बी.टेक और दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम के लिए बहुत अधिक शुल्क ले रहा है। समिति यह पाती है कि निफटेम, कुंडली चार वर्षीय बी.टेक और दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम के लिए शिक्षण और विकास शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष क्रमश: 210900 रुपए और 375,535 रुपए ले रहा है। राष्ट्रीय शुल्क समिति द्वारा संस्तुत अधिकतम शिक्षण तथा विकास शुल्क की तुलना में निफटेम इन कार्यक्रमों के लिए 52600 रुपए और 204,235 रुपए का अधिक शुल्क ले रहा है। समिति यह जानकर हैरान है कि कर दाताओं के धन से वित्तपोषित सरकारी संस्थान अधिकतम शुल्क सीमा के संबंध में सांविधिक निकाय के निदेशों का पालन नहीं कर रहा है। समिति यह नोट करके भी आश्चर्यचकित है कि निफटेम, कुंडली को अधिकतम शिक्षण तथा विकास शुल्क की सीमा का घोर उल्लंघन करने दिया जा रहा है। यह एआईसीटीई के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के खराब पर्यवेक्षण को दर्शाता है। समिति की यह राय है कि हमारे देश के अधिकांश छात्र मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित हैं जो व्यावसायिक कोर्सों के लिए अधिक शुल्क नहीं दे सकते हैं और शुल्क निर्धारित करने हेतु एआईसीटीई द्वारा बनाए गए नियम उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में समर्थ बनाते हैं। अधिकतम शिक्षण और विकास शुल्क सीमा का घोर उल्लंघन निदंनीय है और इस बारे में

उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अत: समिति सरकार से सिफारिश करती है कि वह निफटेम, कुंडली द्वारा किए जा रहे उल्लंघन की सीमा का विश्लेषण करने हेतु वसूले गए अधिक शुल्क, आज तक विद्यार्थियों से वसूले गए अधिक शुल्क की गणना करने और उपचारात्मक उपाय करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करे। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय चालू सत्र से राष्ट्रीय शुल्क समिति/एआईसीटीई द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वर्तमान कोर्सों का शुल्क निर्धारित करें। समिति यह चाहती है कि उसे इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर इस संबंध में की-गई-कार्रवाई के बारे में अवगत कराया जाए।

<u>शिक्षण शुल्क माफी योजना</u>

4. समिति नोट करती है कि एआईसीटीई द्वारा यथानुमोदित शिक्षण शुल्क माफी योजना में प्रावधान है कि जिन अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 6.00 लाख रुपए से अधिक नहीं है उनके पुत्र और पुत्रियां शिक्षण शुल्क माफी योजना के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में, समिति को बताया गया कि एआईसीटीई की शिक्षण शुल्क माफी योजना में महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए तकनीकी संस्थाओं में पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वालों में से 5% तक के लिए प्रावधान है। समिति यह भी नोट करती है कि आईआईटी और एनआईटी समेत राष्ट्रीय महत्व के कतिपय संस्थानों में वर्ष 2016-17 से अजा/अजजा/दिव्यांग छात्रों के लिए पूरी शुल्क माफी और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए शुल्क रियायतों का प्रावधान है। तथापि, समिति यह नोट करके अचंभित है कि निफटेम और आईआईएफटीसी इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और उन्होंने एआईसीटीई नियमों के अंतर्गत जरूरतमंद छात्रों को यथापेक्षित शिक्षण शुल्क माफी प्रदान नहीं की। समिति को मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि वे निफटेम और आईआईएफपीटी को परामर्श जारी करेंगे कि एआईसीटीई विनियमों का अनुपालन करें। समिति का मत है कि निफटेम और आईआईएफपीटी द्वारा शिक्षण शुल्क माफी योजना संबंधी नियमों का उल्लंघन करने से ऐसे अनेक छात्रों के स्वप्न टूट गए होंगे जो निधियों के अभाव में गुणवत्तापरक शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सके। उल्लंघन की गंभीरता पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया, समिति चाहती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि निफटेम और आईआईएफपीटी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मौजूदा शिक्षा वर्ष से ही शिक्षण शुल्क माफी योजना लागू हो जाए। समिति की यह भी इच्छा है कि मंत्रालय अजा/अजजा/दिव्यांग छात्रों को पूरी शुल्क माफी और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए शुल्क रियायतें देने के लिए निफटेम और आईआईएफपीटी में एक पृथक योजना आरंभ करे जैसा आईआईटी और आईआईएम में प्रावधान है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस

उल्लंघन को जैसा पहले सिफारिश की गई थी उचच शक्ति प्राप्त समिति को भेजे और इस विषय में जिम्मेदारी तय करे।

<u>जरूरतमंद छात्रों/आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति</u>

5. समिति नोट करती है कि निफटेम कुंडली और आईआईएफपीटी, तंजावुर विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं जैसे कि मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, नान नेट क्वालिफाइड पीएचडी स्कालर्स को फेलोशिप, बी.टेक, एम.टेक और पीएच.डी के 13 छात्रों को मेरिट स्कालरशिप। समिति को यह बताया गया कि निफटेम, कुंडली और आईआईपीएफटी, तंजावुर ने वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान क्रमश: 6.21 करोड़ रुपए और 1.88 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि निफटेम, कुंडली वर्ष 2016-17 से छात्रवृत्ति शुल्क के रूप में प्रत्येक छात्र से प्रति सेमेस्टर 6000 रुपए की राशि ले रहा है। समिति यह नोट करती है कि निफटेम ने वर्ष 2016-17 से छात्रों से छात्रवृत्ति शुल्क के रूप में 1.28 करोड़ रुपए की राशि संग्रहित की है। इस संबंध में समिति को यह बताया गया कि निफटेम ने प्रत्येक वर्ष पात्र छात्रों को 30 छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु छात्रों से वसूले गए छात्रवृत्ति शुल्क, सरकार से बजटीय सहायता तथा कारपोरेट से प्राप्त निधियों से 'कार्पस पूलिंग फंड' सृजित किया है। समिति यह जानकर हैरान है कि निफटेम, कुंडली छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु छात्रों से अलग शुल्क ले रहा है। समिति सरकारी संस्थान द्वारा छात्र से छात्रवृत्ति शुल्क लेने की प्रक्रिया की निंदा करती है। समिति यह चाहती है कि मंत्रालय निफटेम के विभिन्न कोर्सों में शुल्क के इस घटक को बंद करे। इसके अतिरिक्त, समिति की यह राय है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से प्रतिभा को आकर्षित करने हेतु किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्रवृत्ति का प्रावधान जरूरी है। अत: समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निफटेम की बजटीय सहायता में वृद्धि करे। समिति यह चाहती है कि उसे इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

<u>खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जनशक्ति आवश्यकता</u>

6. समिति नोट करती है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 112633 व्यक्तियों की वार्षिक मांग है। तथापि, समिति को बताया गया था कि संगठित क्षेत्र में सभी स्तरों पर आपूर्ति की तुलना में मांग के आधिक्य के रूप में अंतर है और यह अंतर कम शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं कक्षा से नीचे) वाले 'अल्पावधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित लोगों' की मांग पर विचार करते समय अधिकतम है। प्रतिवर्ष लगभग एक लाख प्रशिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षित मांग की तुलना में 10,000 से अधिक व्यक्तियों की ही आपूर्ति हो पाती है। यदि असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखा जाए तो यह आवश्यकता 5.3 लाख से अधिक बढ़ जाएगी। समिति यह भी नोट करती है कि 87 कौशल केन्द्र हैं जो खाद्य प्रसंस्करण में विभिन्न रोजगार भूमिकाओं में कौशल प्रदान कर रहे हैं और 64 व्यावसायिक कालेज हैं जो एनएसडीसी की कुशल भारत पहल के अंतर्गत हैं। औपचारिक शिक्षा क्षेत्र में कई राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कालेज हैं जो खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध विधाओं में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम चलाते हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन करने के अलावा, निफटेम और आईआईएफपीटी कम शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं कक्षा से नीचे) वाले अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के लिए छोटे केन्द्र खोलना या पाठ्यक्रम चालू करना चाहते हैं।

समिति यह भी नोट करती है कि खण्ड 12(2)(ड.) संस्थानों को केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् देश के भीतर खाद्य प्रसंस्करण अध्ययन और संबद्ध क्षेत्रों के केन्द्र स्थापित करने का लचीलापन प्रदान करता है। तथापि, विभिन्न पक्षों से अनुरोध मिलने के बावजूद, समिति यह नोट कर खेद व्यक्त करती है कि मंत्रालय ने देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की कमी का सामना करने के लिए देश में निफटेम के और अधिक केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया है। समिति का विचार है कि श्रम आधारित क्षेत्र होने के नाते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य रोजगार स्रोत के रूप में उभर सकता है। तथापि, यह क्षेत्र प्रौद्योगिकी आधार भी है जिसे नई मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति चाहिए। इसलिए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि उद्योगों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके कम शैक्षणिक योग्यता वाले नए अल्पावधिक पाठ्यक्रम तैयार करे ताकि इस क्षेत्र को उनकी तीव्र वृद्धि के लिए अपेक्षित जनशक्ति मिल सके।

शासी बोर्ड

7. समिति नोट करती है कि विधेयक के खण्ड 11(2)(क) में, खाद्य उद्योग या शिक्षा या खाद्य विज्ञान या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या प्रबंधन या लोक प्रशासन के क्षेत्र में या ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञताप्राप्त विशिष्ट व्यक्तियों में से शासी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का उपबंध है। समिति को बताया गया कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञताप्राप्त विशिष्ट व्यक्ति के मापदण्ड को शामिल किया जाना आईआईटी तथा आईआईएम जैसे राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों की तर्ज पर है। समिति को यह भी बताया गया कि लोक प्रशासन से व्यक्ति को सरकार के समस्त कार्यकरण का अनुभव प्राप्त हो और वह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों का अच्छा जानकार हो। समिति नोट करती है कि शासी बोर्ड मुख्य प्राधिकरण होगा जो संस्थान के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण का जिम्मेदार होगा और संस्थान की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। चूंकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक विशेषीकृत क्षेत्र है इसलिए समिति का मत है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, या शिक्षा या खाद्य विज्ञान या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या प्रबंधन का शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति से संस्थान को कार्योन्मुखी बनने में तथा उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। इससे संस्थान को अपने कार्यकरण को लालफीताशाही-मुक्त रखने तथा उद्योग-अनुकूल नीतियां अपनाने में भी मदद मिलेगी। इसलिए समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि विधेयक के खण्ड 11(2)(क) का निम्नानुसार संशोधन किया जाए :-

".....सभापति, खाद्य उद्योग या शिक्षा या खाद्य विज्ञान या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या प्रबंधन के क्षेत्र में या ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञताप्राप्त विशिष्ट व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए ....."

समिति नोट करती है कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में संसद के तीन सदस्यों (दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से) को परिषद, जो आईआईटी के प्रबंधन के लिए केन्द्रीय निकाय है, के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का उपबंध है। समिति का विचार है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैविक रूप से खेती क्षेत्र से जुड़ा है और खेती क्षेत्र की वास्तविकता का अच्छा अनुभव रखने वाले सांसद निफटेम के कार्यकरण में आवश्यक व्यावहारिकता ला सकेंगे। इसलिए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि निफटेम के

प्रबंधन के लिए गठित शासी बोर्ड में, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में यथाउपबंधित तर्ज पर, संसद सदस्य को शामिल किए जाने का उपबंध सम्मिलित करे।

<u>प्रत्यायोजित विधान का विस्तार</u>

8. समिति नोट करती है कि निफटेम विधेयक का खण्ड 24(1) उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान के प्रथम परिनियम केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद द्वारा तैयार किए जाएंगे और उनकी एक प्रति उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। तथापि, खण्ड 24(2) और 24(3) बोर्ड को नए या अतिरिक्त परिनियम बनाने या परिनियमों का संशोधन या निरसन करने की शक्ति प्रदान करते हैं बशर्ते प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियम का संशोधन या निरसन के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन अपेक्षित हो जो इसे अनुमोदित करेगी या विचारार्थ बोर्ड को भेजेगी। समिति को बताया गया है कि विधेयक में उपबंधित प्रत्यायोजित विधान का विस्तार प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961; राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007; और भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 के उपबंधों के सदृश संवैधानिक उपबंधों की तर्ज पर है। समिति को यह भी बताया गया कि विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य और विधायी विभाग) ने विधिक और संवैधानिक दृष्टि से सहमति दे दी है। समिति का विचार है कि संसद का उसके द्वारा पारित विधेयक पर आधारित परिनियम में संशोधनों की संवीक्षा का अधिकार सुरक्षित है। इसलिए समिति सरकार से सिफारिश करती है कि प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियम का संशोधन या निरसन की एक प्रति को निफटेम विधेयक के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन के सभापटल पर रखे जाने के उपबंध को सम्मिलित करे।

<u>निफटेम की आत्मनिर्भरता और स्थिरता</u>

9. समिति नोट करती है कि विधेयक का खण्ड 8(2) उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान आत्मनिर्भरता और स्थिरता के लिए निधियां जुटाने का प्रयत्न करेगा। तथापि, समिति को आश्वस्त किया गया कि केन्द्रीय सरकार संस्थानों को भविष्य में वित्तीय रूप से सहयोग देती रहेगी। समिति ने यह भी नोट किया कि बजटीय सहायता और छात्र से लिया गया शुल्क संस्थान के निधिपोषण का मुख्य स्रोत हैं। उद्योगों से परामर्श शुल्क प्राप्त करने में तथा सरकारी विभाग से अनुसंधान सहायता प्राप्त करने में निफटेम और आईआईएफपीटी का कार्यनिष्पादन काफी कम है। समिति को बताया गया है कि निफटेम और आईआईएफपीटी ने

वर्ष 2014-19 की अवधि में क्रमश: 20 लाख रुपए और 35 लाख रुपए का राजस्व कमाया । समिति ने पूर्ववर्ती पैरा में यथाउल्लिखित निफटेम द्वारा शुल्क और शिक्षण शुल्क माफी योजना की सीमा का उल्लंघन भी नोट किया। निफटेम और आईआईएफपीटी के कार्यों के विगत निष्पादन से परामर्श और अन्य अनुसंधान अनुदानों से संस्थान के राजस्व में भावी वृद्धि के संबंध में समिति का विश्वास सुदृढ़ नहीं होता। देश में औसत नागरिक के आय-स्तर पर विचार करते हुए समिति का विचार है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी निर्माण तथा जनशक्ति आवश्यकता में आत्मनिर्भरता का स्तर हसिल करने की दृष्टि से उच्चतर शिक्षा संस्था को लगातार सहायता की अति आवश्यकता है। इससे न केवल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी अपितु पेटेंटों पर रायल्टी के रूप में विदेशी मुद्रा खर्च में भी कमी आएगी। इसके अलावा, कम शुल्क पर विशेषीकृत शिक्षा की उपलब्धता से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कम लागत पर प्रशिक्षित जनशक्ति मिल सकेगी। इसलिए, समिति सरकार को देश में सोसाइटी के सभी वर्गों से सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से निफ्टेम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क को उचित स्तर पर करने के लिए विधेयक में प्रावधान शामिल करने की सिफारिश करती है।

नई दिल्ली;
28 नवंबर**, 2019**
08 अग्रहायण**, 1941 (शक)**

पी.सी. गद्दीगौडर
सभापति,
कृषि संबंधी स्थायी समिति